

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2017—भाद्र 17, शक 1939

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. ई-5-803-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 26 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-910-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती षण्मुख प्रिया मिश्रा, आयएएस., को नीचे दर्शाए गये विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

- दिनांक 8 नवम्बर 2016 से 6 मई 2017 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश.
- दिनांक 7 मई से 13 जून 2017 तक, अड़तीस दिन का लघुकृत अवकाश.

5045

3. दिनांक 14 जून से 11 अक्टूबर 2017 तक, एक सौ बीस दिन का अर्जित अवकाश.
4. दिनांक 12 अक्टूबर 2017 से 30 मार्च 2018 तक, एक सौ सत्तर दिन की चाइल्ड केयर लीव.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती षण्मुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्र. ई-270-2017-5-एक.—श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे (2000), पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर द्वारा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे (2005), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् तथा संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई-1-272-2017-5-एक.—सुश्री नेहा मारव्या सिंह, भाप्रसे (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 14 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, तेईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. ई-1-279-2017-5-एक.—श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे (1998), आयुक्त-सह-संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान (अतिरिक्त प्रभार), मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे (1998) द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3) श्री मनोज श्रीवास्तव, भाप्रसे (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, संस्कृति विभाग तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 3 से 18 अक्टूबर 2017 तक, सोलह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर 1, 2 अक्टूबर 2017 एवं दिनांक 19, 21, 22 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 20 अक्टूबर 2017 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-642-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक अग्रवाल, आयएस., आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 8 से 22 अगस्त 2017 तक, पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्र. ई-1-276-2017-5-एक.—श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे (2008), संचालक, पंचायतीराज को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई-5-988-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 4 जनवरी से 2 जुलाई 2017 तक, एक सौ अस्सी दिन के स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 जुलाई से 2 सितम्बर 2017 तक, बासठ दिन का Leave Not Due स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता देय होगा।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. ई-5-674-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 21 से 26 अगस्त 2017 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-687-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को भारत सरकार के DFPT कार्यक्रम के अन्तर्गत Cambridge University United Kingdom में दिनांक 18 से 23 सितम्बर 2017 तक, छः दिन तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 24 से 27 सितम्बर 2017 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र. ई-5-1025-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 4 से 15 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 सितम्बर एवं 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. ई-1-277-2017-5-एक.—श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे (2014), अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहडोल पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-277-2017-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2017, जिसके द्वारा श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे (2014), अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहडोल पदस्थ किया गया है। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री जांगिड को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-286-2017-5-एक.—श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे (2011), अपर कलेक्टर, ग्वालियर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर इन्दौर पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. ई-5-683-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मिड केरियर प्रोग्राम जो कि दिनांक 5 जून से 30 जून 2017 तक मसूरी में आयोजित है, जिसमें दिनांक 26 जून से 30 जून 2017 तक आयोजित विदेश ट्रेनिंग के अनुक्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2017 द्वारा दिनांक 1 जुलाई से 4 जुलाई 2017 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था।

(2) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 1 जुलाई 2017 से स्टडी टूर समाप्ति उपरान्त विभाग के अधीन पेलेटिव केयर एवं बोनमेरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना हेतु

निष्पादित एम.ओ.यू. पर चर्चा हेतु श्रीमती गोविल को यूएसए में दो दिवस अतिरिक्त रुकने की अनुमति प्रदान किये जाने के अनुक्रम में स्वीकृत एक्स इंडिया अवकाश संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 4 जुलाई 2017 का एक दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(3) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्:

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. बी-1-131-2017-2-एक.—श्री प्रशांत श्रीवास्तव, राप्रसे (पी-2014), डिप्टी कलेक्टर एवं उपायुक्त, भू-अभिलेख, जबलपुर द्वारा स्वयं की नियुक्ति के समय सेवा अभिलेखों में अंकित गृह जिला जबलपुर के स्थान पर गृह जिला बिलासपुर (छ.ग.) करने का अनुरोध करते हुए प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न कर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

(2) राज्य शासन परीक्षणोपरान्त एतद्वारा श्री प्रशांत श्रीवास्तव, राप्रसे, डिप्टी कलेक्टर एवं उपायुक्त, भू-अभिलेख, जबलपुर के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला जबलपुर के स्थान पर गृह जिला बिलासपुर (छ.ग.) परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्री प्रशांत श्रीवास्तव, राप्रसे के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव 'कार्मिक'।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2017

क्र. एफ 1(ए)31-2007-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2017 द्वारा श्री के. सी. जैन, भाप्रसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर, जोन छतरपुर को दिनांक 19 से 24 जून 2017 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 एवं 25 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव।



**महिला एवं बाल विकास विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. एफ-9-1-2010-पचास-1.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में निम्नलिखितों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

1. डॉ. रजनी भण्डारी, 38, अशोकनगर, जिला इन्दौर.
2. श्रीमती अमिता जैन, ए-143, अलकापुरी, हबीबगंज, जिला भोपाल.
3. श्रीमती अंजु मिश्रा, 24/279, अर्जुन नगर, जिला रीवा
4. श्री आशीष कपूर, डी-51, अलकापुरी, जिला रतलाम

(2) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 19 के प्रावधान अन्तर्गत उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो की अवधि के लिये होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पंकज शर्मा, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. एफ-9-1-2010-पचास-1.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री बाबूलाल जाट, निवासी वार्ड क्र. 1, नीलकंठ रोड, थाना नसरुल्लागंज, जिला सीहोर को मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

(2) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 19 के प्रावधान अन्तर्गत श्री बाबूलाल जाट का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो की अवधि के लिये होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जे. एन. कांसोटिया, प्रमुख सचिव.**

**वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. 1578-1481-2017-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं नियुक्त करता है:—

**सारणी**

अनु. क्र.	अधिकारी का नाम	अधिनियम की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मंगला पुरकाम, असिस्टेंट, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं.	धारा 29	भोपाल मुख्यालय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.**

**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

**सूचना**

क्र. एफ-3-117-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19

की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा टीकमगढ़ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छतरपुर, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. एफ-3-117-2016-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्र एफ-3-117-2016-अठारह-5, दिनांक 29 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 29th August 2017

#### NOTICE

No. F-3-117-2016-XVIII-5.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Tikamgarh, 2031 under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the

said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Sagar Division, Sagar, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Tikamgarh, Madhya Pradesh.
3. C.M.O., Municipal Council Tikamgarh, Madhya Pradesh.
4. Assistant Director, Town & Country Planning, Distt. Office Chhatrapur, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973:—

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

#### धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. एफ-3-24-2013-छः.—मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गई है. इस योजना से संबंधित नियम राजपत्र (असाधारण), दिनांक 26 जून 2012 में प्रकाशित किये गये हैं. उक्त योजना में प्रदेश के बाहर 17 प्रमुख तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, इस योजना के तहत विचारोपरान्त नवीन चयनित तीर्थस्थल श्री रामदेवरा, जैसलमेर (राजस्थान) को सम्मिलित करता है.

मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक/एफ 15-20/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-04 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	दमोह	दमोह	जामुनखोर	आर.एफ.-104	52.00	पूर्व- कक्ष क्रमांक आर.एफ. 103 की पश्चिमी सीमा। पश्चिम- कक्ष क्रमांक आर.एफ. 104 उत्तर- कक्ष क्रमांक आर.एफ. 104 दक्षिण- कक्ष क्रमांक आर.एफ. 104

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-15-20-2017-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-20-2017-दस-2, दिनांक 29 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 29<sup>th</sup> August 2017

No./F 15-20/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 4 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Wildlife Experience Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

**Schedule**

S. no.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Ha)	Boundaries
1.	Damoh	Damoh	Jamunkhor	RF- 104	52.00	<b>East-</b> Western Boundary of Compartment no. RF 103. <b>West-</b> Compartment no. RF 104. <b>North-</b> Compartment no. RF 104. <b>South-</b> Compartment no. RF 104.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक/एफ 15-22/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत

राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

### अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	रतलाम	शिवगढ़	राजापुरा माताजी वन विश्राम गृह	आरक्षित वन-67	251.264	<p>पूर्व-आरक्षित वनखण्ड माही के मुनारा क्र. 168 से मुनारा क्र. 186 तक कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड माही के मुनारा क्र. 139 से मुनारा क्र. 155 तक कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>उत्तर-आरक्षित वनखण्ड माही के मुनारा क्र. 155 से मुनारा क्र. 168 तक कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड माही के मुनारा क्र. 186 से मुनारा क्र. 195, वन कक्ष सीमा आर-66 एवं मुनारा क्र. 137 से 139 तक कृत्रिम वन सीमा।</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-15-22-2017-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-22-2017-दस-2, दिनांक 29 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 29<sup>th</sup> August 2017

No./F 15-22/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

**Schedule**

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Ratlam	Shivgarh	Rajapura mataji Forest Rest House	RF-67	251.264	<p><b>East-Artificial Boundary</b> Reserved Block From Pill no. 168 To 186</p> <p><b>West- Artificial Bounda</b> of Reserved Block Fro Pillar no. 139 To 155</p> <p><b>North-Artificial Bounda</b> of Reserved Block Frc Pillar no. 155 To 168</p> <p><b>South-Artificial Bounda</b> of Reserved Block Frc Pillar no. 186 To 193, For Boundary R-66 and pillar 137 to 139</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 114-2017-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 2-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

## 1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:	खंडवा
(ख) तहसील	:	पुनासा
(ग) ग्राम	:	जलकुआ
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	:	0.830 हैक्टेयर

अ.क्र.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भाबिसन, श्रीराम, जगदीश, रमेश पिता कन्हैया, गीताबाई पुत्री कन्हैया, यशवंत, देवेन्द्र पिता अर्जुन, रामकुवरबाई पुत्री अर्जुन, लीलाबाई वि. कन्हैया, सुशीलाबाई, सुन्दरबाई पुत्री कन्हैया	48	0.79	0.100	0.00	0.100	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग काया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	रूपराम पिता राजाराम	46/6	0.08	0.020	0.00	0.020	
3	रामनिवास पिता राजाराम	46/3	2.40	0.050	0.05	0.00	
4	प्रकाश पिता राजाराम	46/2	2.40	0.050	0.05	0.00	
5	सुभाष पिता राजाराम	46/1	1.20	0.050	0.05	0.00	
6	रामसिंह पिता हिरालाल	45/1	1.49	0.060	0.06	0.00	
7	ईश्वरसिंह पिता हिरालाल	45/2	1.49	0.060	0.06	0.00	
8	दीपक, भूपेन्द्र पिता विजयसिंह	53/1	0.98	0.030	0.03	0.00	
9	चंद्रपाल पिता चामटा	53/2	0.98	0.030	0.03	0.00	

10	भारतसिंह, फूलसिंह, पूरणसिंह पिता रामपाल, नीलाबाई, कमीबाबाई पुत्री रामपाल, बसुबाई वि. रामपाल	54/2	1.54	0.030	0.03	0.00
11	चिरोंजीलाल पिता राजाराम	46/10	0.04	0.010	0.00	0.01
12	गुलाबचंद पिता गजानंद	46/5 46/8	1.11	0.090	0.09	0.00
13	गजरी पति शंभूदयाल	51/1,	0.40	0.020	0.00	0.02
		51/2	0.40	0.020	0.00	0.02
14	हीरालाल पिता मौजीलाल	51/3	0.87	0.040	0.00	0.04
15	कृष्णसिंह पिता मौजीलाल	51/9	0.40	0.030	0.00	0.03
16	सरला पति हरिराजसिंह	51/5	0.60	0.040	0.040	0.00
		51/6	0.60	0.090	0.090	0.00
17	पंकजकुमार पिता हररिजसिंह	51/8	0.10	0.010	0.010	0.00
कुल कृषक-17		कुल रकबा - 0.83 है. सिंचित- 0.590 है. असिंचित- 0.240 है.				

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 116-2016-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 3-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:	खंडवा
(ख) तहसील	:	पुनासा
(ग) ग्राम	:	डाबरी
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	:	0.85 हैक्टेयर



अ.कं.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल रकबा	संचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारायण पिता भागीरथ	2/1	4.34	0.06	0.06	0.00	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव,जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	लखन पिता भागीरथ	2/2	4.34	0.06	0.06	0.00	
3	माखन पिता भागीरथ	2/3	4.34	0.06	0.00	0.06	
4	चंपालाल पिता मनफूल	3/1	1.95	0.03	0.00	0.03	
5	राजाराम पिता मनफूल	3/2	1.95	0.03	0.00	0.03	
6	बलीराम पिता मनफूल	3/3	0.09	0.03	0.00	0.03	
		4/1	1.86				
7	सोहनलाल पिता तुलाराम	4/2	1.92	0.05	0.00	0.05	
8	पन्नालाल पिता तुलाराम	5/1	1.72	0.06	0.00	0.06	
9	राधेश्याम पिता देवराम	6/1	0.88	0.07	0.00	0.07	
10	लिमाजी, गुलाबदास पिता दयाराम, मीरा,सुशीला, लक्ष्मी, कलाबाई पुत्री दयाराम,गहना बेवा दयाराम नंदू पिता मयाराम लीला बेवा मयाराम	189/1 191/1	0.35 0.40	0.05	0.00	0.05	
11	चिंतामण पिता ईश्वरचंद सा शोभा पति भरतकुमार जैन	189/5	0.40	0.03	0.00	0.03	
12	मेहूल पिता रावजी	191/3	0.20	0.02	0.00	0.02	
13	चिंतामण पिता ईश्वरचंद सा जैन अरुण कुमार पिता माणकचंद	191/4	0.27	0.02	0.00	0.02	
14	दीपक पिता किशनचंद	191/5	0.20	0.02	0.00	0.02	
15	जगन्नाथ पिता सोमा	194/1	1.16	0.15	0.00	0.15	
16	जम्बू कुमार पिता अरुण कुमार जैन	195/1 195/2	0.15 0.17	0.05	0.00	0.05	
17	सुचित्रा पति राजकुमार	196/5 197/1	0.05 0.08	0.05	0.00	0.05	
18	शिल्पा पति शिरीष	196/4	0.05	0.01	0.00	0.01	
<b>कुल- कृषक 18</b>		<b>कुल रकबा -0.85हे0</b>		<b>सिंचित - 0.12हे0 असिंचित- 0.73हे0</b>			

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 117-2017-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 8-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:	खंडवा
(ख) तहसील	:	पुनासा
(ग) ग्राम	:	बिजोरामाफी
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	:	1.360 हैक्टेयर कृषि भूमि + 0.6२0 हैक्ट.आवासीय भूमि

अ.क्र.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रघुवीर पिता अमरसिंह	10/3	1.60	0.09	0.09	0.00	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	इंदरसिंह पिता गजराजसिंह	11/3	1.96	0.04	0.04	0.00	
3	गुलाबसिंह पिता रामाजी	15/1 16/1	1.64 1.32	0.44	0.44	0.00	
4	अमानसिंह पिता सुभान	222/1	0.94	0.02	0.02	0.00	
5	भीमसिंह पिता अमानसिंह	222/3	1.000	0.01	0.01	0.00	
6	सीताराम पिता नैवसिंह	222/2	0.20	0.03	0.00	0.03	
7	जगन्नाथ पिता रामा	223/1	0.70	0.05	0.05	0.00	
8	बाबू पिता रामा	240/2	0.65	0.02	0.00	0.02	
9	श्रीराम पिता फत्तूलाल	240/1	0.66	0.03	0.03	0.00	
10	मानसिंह, रामसिंह पिता बोंदरसिंह, लीलाबाई वि० बोंदरसिंह	241/1	2.000	0.130	0.130	0.00	

11	मनसिंह , रामसिंह पिता बोंदर सुशीलाबाई, उषाबाई पुत्री बोंदरसिंह, लीलाबाई पुत्री बोंदरसिंह	241/2	0.490	0.040	0.040	0.000
12	कमलसिंह पिता गेंदसिंह	247/1	0.360	0.040	0.000	0.040
13	राधेश्याम पिता सोमाजी	247/2	0.370	0.040	0.000	0.040
14	हरलाल पिता दौला	248/2	1.400	0.040	0.040	0.000
15	सुखदेव पिता दौला	248/3	1.400	0.010	0.010	0.000
16	कैलाश पिता जलाल	265/1	2.210	0.030	0.000	0.030
17	मांग्या पिता मोहब्बत	265/2	1.110	0.080	0.000	0.080
18	रामप्रसाद पिता मोहन	266/1	0.420	0.090	0.000	0.090
19	नारायण पिता रामप्रसाद	266/2	0.420	0.050	0.050	0.000
20	सुरेन्द्र पिता रामप्रसाद	266/3	0.420	0.030	0.030	0.000
21	बलीराम पिता रामप्रसाद	266/4	0.420	0.030	0.030	0.000
22	पन्नालाल पिता रामप्रसाद	266/5	0.420	0.020	0.020	0.000

## आवासीय भूमि का प्रस्तावित क्षेत्रफल व जानकारी :-

अ.क्र.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित अर्जित रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	भवरबाईपति दातारसिंह	217	0.710	0.010	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	रूघनाथ पिता नारायण	217	0.710	0.010	
3	ईश्वर पिता गजराज	217	0.710	0.010	
4	नरेन्द्र पिता झबरसिंह	217	0.710	0.010	
5	सरदार पिता प्यारसिंह	217	0.710	0.010	
6	निलाबाई वि बोंदर	218	0.870	0.010	
7	अर्जुन पिता अनोपसिंह	279	0.870	0.010	
8	बबलू पिता अर्जुनसिंह	279	0.870	0.010	
9	सुरेन्द्र पिता गिरवर	279	0.870	0.010	
10	हरनाथ पिता कमल	279	0.870	0.010	
11	प्रभात पिता कालू	279	0.870	0.010	
12	मानसिंह पिता बोंदर	278	2.500	0.010	
13	कैलाश पिता रायसिंह	278	2.500	0.010	

14	श्रीकिशनपिता फूलसिंह	278	2.500	0.010
15	हरेसिंह पिता रायसिंह	278	2.500	0.010
16	शंकर पिता मोहनसिंह	278	2.500	0.010
17	गोविंद पिता रायसिंह	278	2.500	0.010
18	दरियाव पिता रायसिंह	278	2.500	0.010
19	ओम पिता इंदरसिंह	278	2.500	0.010
20	कमलसिंहपिता गेंदसिंह	277/1	1.800	0.010
21	रामदासपिता कमलसिंह	277/1	1.800	0.010
22	कमल पिता मंगू	277/1	1.800	0.010
23	सुकलू पिता झबराव	277/1	1.800	0.010
24	रिक्त शासकीय प्लाट	277/1	1.800	0.010
25	राधेश्याम पिता सोमाजी	277/1	1.800	0.010
26	सौदान पिता अनारसिंह	277/1	1.800	0.010
27	छीतर पिता सौमाजी	277/2	2.000	0.010
28	रमेश पिता रामलाल	277/2	2.000	0.010
29	बंदू पिता राजाराम	277/2	2.000	0.010
30	प्रकाश पिता अमान	277/2	2.000	0.010
31	जालम पिता टेकचंद	277/2	2.000	0.010
32	लक्ष्मीबाई पति बिहारी	277/2	2.000	0.010
33	देवसिंह	277/2	2.000	0.010
34	गरीबा पिता रामसिंह	277/2	2.000	0.010
35	तुमेर पिता सुखदेव	269	5.430	0.010
36	प्रेमसिंह पिता नरसिंह	269	5.430	0.010
37	अनिताबाई पति कन्हैया	269	5.430	0.010
38	प्यारसिंह पिता रायसिंह	269	5.430	0.010
39	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
40	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
41	नगीन पिता नरसिंह	269	5.430	0.010
42	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
43	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
44	दलीप पिता रामसिंह	269	5.430	0.010
45	श्यामा पिता सुभान	269	5.430	0.010

46	भीमसिंह पिता तेजु	269	5.430	0.010
47	नरेन्द्र पिता मंगल	269	5.430	0.010
48	उमेनसिंह पिता चैनसिंह	269	5.430	0.010
49	भीमसिंह पिता शिवनाथ	269	5.430	0.010
50	दगडू पिता झबरसिंह	269	5.430	0.010
51	दुर्गाबाई पति कैलाश	269	5.430	0.010
52	पेमा पिता सुभान	269	5.430	0.010
53	रायसिंह पिता रूपसिंह	269	5.430	0.010
54	विमल पिता देवराम	269	5.430	0.010
55	रिक्त प्लॉट	269	5.430	0.010
56	बनारसीबाई पति मोती	269	5.430	0.010
57	भूपेन्द्र पिता कमल	269	5.430	0.010
58	शांता बाई पति रायसिंह	269	5.430	0.010
59	दिनेश पिता सखाराम	269	5.430	0.010
60	धमेन्द्र पिता मंगू	269	5.430	0.010
61	नहारू	269	5.430	0.010
62	गोविंद पिता मोहन	269	5.430	0.010
कुलकृषक-22 कृषि भूमि आवासीय- 62		कृषि भूमि का कुल प्रस्तावित रकबा- 1.360 हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित- 1.03 है. असिंचित- 0.330 हैक्टेयर आवासीय भूमि का कुल प्रस्तावित रकबा - 0.620 हैक्टे. आवासीय		

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 118-2017-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 6-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:	खंडवा
(ख) तहसील	:	पुनासा
(ग) ग्राम	:	जामकोटा
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	:	3.040 हैक्टेयर

अ.क्र.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बद्रीसिंह पिता मनोहरसिंह	215	3.010	0.070	0.070	0.00	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	किरणबाई, राजकुमारी, मालतीबाई पुत्री प्यारसिंह, सरोजबाई वि. प्यारसिंह	8/4	0.450	0.080	0.080	0.00	
3	इंदर उर्फ सनवरियासिंह पिता प्यारसिंह	8/3	0.470	0.170	0.170	0.00	
4	अनिलसिंह पिता प्यारसिंह	8/2	1.200	0.020	0.020	0.00	
5	परसराम,राजसिंह, शैलेन्द्रसिंह पिता कोमलसिंह, मंजुबाई, मायाबाई अनुसुईया बाई पुत्री कोमलसिंह	9/1	0.400	0.030	0.030	0.00	
6	राजसिंह पिता कोमलसिंह	9/3	0.980	0.080	0.080	0.00	
7	परसराम पिता कोमलसिंह	9/4	0.980	0.070	0.070	0.00	
8	शैलेन्द्र पिता कोमलसिंह	9/5	0.990	0.060	0.060	0.00	
9	भोलेसिंह पिता किशोरसिंह	23	0.410	0.030	0.00	0.03	
10	लखनलाल पिता अनारसिंह	22	1.270	0.080	0.080	0.00	

11	गजराजसिंह, राजसिंह पिता रूपसिंह, सुधाबाई ममताबाई पिता रूपसिंह सुशीलाबाई वि. रूपसिंह	21/1	1.000	0.080	0.080	0.000
12	सुशीलाबाई पति रूपसिंह	15/1	1.790	0.240	0.240	0.000
13	पुष्पेन्द्रसिंह पिता राजसिंह	13	0.120	0.010	0.000	0.010
14	गोपालसिंह पिता मनोहरसिंह	14	0.080	0.050	0.000	0.050
15	प्रभाबाई वि. दगडू, कैलाश मुकेश पिता दगडू, छज्जूलाल पिता गोपाल	100/1	0.010	0.010	0.000	0.010
16	हरिराम पिता सोहनलाल, झापडीबाई संतोषबाई पुत्री सोहनलाल, कैलाश दिनेश पिता बाबूलाल, दुर्गा, कांति, शोभा, रेखा पुत्री बाबूलाल छज्जूलाल पिता गोपाल,	101	0.050	0.020	0.000	0.020
17	रूपसिंह पिता रघुनासिंह	102/1	0.020	0.010	0.000	0.010
18	गणपतसिंह पिता रघुनाथसिंह	102/2	0.030	0.010	0.000	0.010
19	हुकुमचंद पिता छज्जूलाल	103	0.040	0.010	0.000	0.010
20	अनिल पिता रामाजी	104	0.020	0.010	0.000	0.010
21	हिरालाल पिता मोतेसिंह, कुसुमबाई अनिताबाई पुत्री मोतेसिंह	105	0.060	0.010	0.000	0.010
22	राजसिंह पिता रघुनाथसिंह	106	0.060	0.040	0.040	0.000
23	दरियावसिंह पिता उमरावसिंह	381	0.010	0.010	0.000	0.010
24	मांगीलाल पिता उमराव	382	0.020	0.020	0.000	0.020
25	गंगाबाई पुत्री रामकरण, सुरजलाल श्यामलाल, कालुराम दंदुसिंह पिता रामकरण	384	0.020	0.020	0.000	0.020
26	मांगीलाल, भागरतीबाई पिता सीताराम	399/1	0.070	0.010	0.000	0.010
27	दशरथ पिता सीताराम	399/2	0.080	0.010	0.000	0.010
28	राजसिंह, बाघसिंह पिता गजराजसिंह शांताबाई पुत्री गजराजसिंह, छंदुबाई वि. गुलाबसिंह, गोपीबाई पति चुन्नीलाल, गंगाबाई पुत्री नवलसिंह	397	0.100	0.100	0.000	0.100

29	बांगसिंह पिता गजराजसिंह	531/1	4.290	0.200	0.200	0.000
30	चरणसिंह पिता बागसिंह	531/2	2.000	0.080	0.080	0.000
31	राजसिंह पिता गजराजसिंह	531/3	1.480	0.040	0.040	0.000
32	राजसिंह पिता गजराजसिंह	530	2.000	0.090	0.090	0.000
33	भगवानसिंह पिता दगडूसिंह	529/7	1.050	0.020	0.020	0.000
34	मानसिंह पिता घीसाजी	529/8	0.500	0.030	0.030	0.000
35	घीसाजी पिता उमराव	529/6	0.100	0.010	0.010	0.000
36	दगडू पिता उमराव	529/5	1.700	0.050	0.050	0.000
37	घीसाजी पिता उमराव	529/1	1.700	0.030	0.030	0.000
38	आशाबाई पति बल्लूसिंह	632/1	2.000	0.130	0.130	0.000
39	इंदूबाई पति गोविन्दसिंह	632/2	0.800	0.020	0.020	0.000
40	लक्ष्मणसिंह पिता बाकाजी	633	2.080	0.040	0.040	0.000
41	देवकीबाई पति मांगीलाल	634	2.500	0.060	0.060	0.000
42	इंदूबाई पति गजराजसिंह	652/1-2	0.920	0.110	0.110	0.000
43	गजेन्द्रसिंह पिता मंगुसिंह	638	0.800	0.030	0.030	0.000
44	भगवानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह, मुंशीलाल राकेश पिता भगवानसिंह	527	1.550	0.020	0.020	0.000
45	नरेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता दगडूसिंह, संतोषबाई वि. दगडूसिंह	509	3.470	0.120	0.120	0.000
46	शेराबाई पति दगडूसिंह	508	1.600	0.050	0.050	0.000
47	झबरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	507	1.230	0.040	0.040	0.000
48	नरेन्द्रसिंह पिता कृष्णसिंह	506	4.000	0.140	0.140	0.000
49	गोविंदसिंह पिता झबरसिंह	505	0.460	0.030	0.030	0.000
50	गोविंदसिंह पिता झबरसिंह	504	1.250	0.040	0.040	0.000



51	इंदूबाई पति गोविंदसिंह	503	0.650	0.030	0.030	0.000
52	चैनसिंह पिता गोविंदसिंह	502/5	0.400	0.050	0.050	0.00
53	भागीरथ पिता दरियाव	496	2.230	0.040	0.040	0.00
54	दगडू पिता मोहनसिंह, अनिल, सुनिल, पिता दगडू	495/3	2.010	0.090	0.090	0.000
55	दशरथ पिता प्यारसिंह	495/8	1.000	0.030	0.030	0.000
56	भगवानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	111/1	0.120	0.010	0.010	0.000
57	रूपसिंह पिता रघुनाथसिंह	110/1	0.360	0.030	0.030	0.000
58	गणपतसिंह पिता रघुनाथसिंह	109/1	0.360	0.020	0.020	0.000
<b>कुल- कृषक-58</b>		<b>कुल रकबा -3.04 है. सिंचित- 2.700 है. असिंचित- 0.340 है.</b>				

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 119-2017-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 4-अ-82-16-17

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधायम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

९।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क)	जिला	:	खंडवा
(ख)	तहसील	:	पुनासा
(ग)	ग्राम	:	गुलगांव रैयत
(घ)	अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	:	3.670 हैक्टेयर

अ. कं.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पवनसिंह पिता गजराजसिंह	44/2	1.34	0.100	0.100	0.000	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	तुलसीबाई विधवा रामपाल, सुशीलाबाई, ललिता पुत्री रामपाल, शिवपाल पिता रामेश्वर, सुनिता पुत्री रामपाल अ.पा. तुलसाबाई वि. रामपाल	45/4	0.400	0.010	0.000	0.010	
3	रमेश पिता बाबूलाल	45/1 45/2	1.70	0.050	0.050	0.000	
4	चंपालाल पिता नत्थूसिंह	45/3	1.030	0.010	0.000	0.010	
5	भीमसिंह पिता रामप्रसाद	55/1	1.180	0.060	0.000	0.060	
6	शिवनाथ पिता भागीरथ	56	3.350	0.020	0.020	0.000	
7	भारतसिंह पिता रामेश्वर	57	2.770	0.020	0.020	0.000	
8	राजसिंह पिता मांगीलाल	58/1	2.420	0.050	0.050	0.000	
9	लीला प्रसाद पिता गुलाबदास	42/2	1.200	0.030	0.030	0.000	
10	प्यारसिंह पिता ध्यानसिंह	41	1.040	0.010	0.010	0.000	

11	मोतीराम पिता ध्यानसिंह	40/1	1.360	0.020	0.020	0.000
12	राजाराम उर्फ राज पिता ध्यानसिंह	40/2	1.360	0.020	0.020	0.000
13	सुरेन्द्रसिंह पिता कृष्णसिंह	38	4.770	0.070	0.070	0.000
14	नवनीतसिंह पिता कृष्णसिंह	37/1	5.500	0.050	0.050	0.000
15	नरेन्द्रसिंह पिता कृष्णसिंह	37/2 107	3.670	0.400	0.400	0.000
16	महेश पिता सौदानसिंह	36/1	1.560	0.020	0.020	0.000
17	अशोक पिता सौदानसिंह	36/2	1.570	0.020	0.020	0.000
18	जीवनसिंह पिता किशोरसिंह	33/3	0.800	0.100	0.100	0.000
19	मांगीलाल, बाबूलाल पिता बिसराम हरीशंकर पिता छगन सकुवरबाई, लक्ष्मीबाई पुत्री छगन, लक्ष्मण पिता कान्हा आत्माराम अवल पिता छीतर दगडई बाई पुत्री छीतर कमलाबाई वि. छीतर	104	0.030	0.030	0.00	0.030
20	सजनबाई वि. किशोर, अवलसिंह, जीवनसिंह, रामदास, नरेन्द्रसिंह पिता किशोरसिंह, संतोषबाई, सेवतीबाई, मनुबाई पुत्री किशोरसिंह	100	0.090	0.010	0	0.010
21	रेशमबाई वि. कृष्णसिंह नरेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, नवनीतसिंह पिता कृष्णसिंह, कोकिलाबाई, निकिताबाई पुत्री कृष्णसिंह	99	0.420	0.120	0.12	0.000
22	आनंद, अर्जुन, भीम, जयसिंह पिता दीलीपसिंह, श्यामूबाई, संतरीबाई, अगूरीबाई, गुडडीबाई पुत्री दिलीपसिंह, रामदुलारी बेवा दिलीपसिंह, सौदान, सूरज, कमल पिता किशोरसिंह, रूखमणीबाई, उर्मिलाबाई, पावतीबाई पुत्री किशोरसिंह, जसवंतसिंह पिता गंगाराम	97	0.110	0.110	0.000	0.110
23	रामबाई वि. आधारसिंह, बलवंतसिंह, धनराजसिंह, दिनेशसिंह पिता आधारसिंह, दुर्गाबाई पिता आधारसिंह	86	0.050	0.050	0.000	0.050
24	दलसिंह पिता चम्पालाल	89	0.080	0.010	0.000	0.010
25	रामपाल पिता भारतसिंह	238/3	6.480	0.770	0.770	0.000
26	मांगीलाल पिता भारतसिंह	231	0.230	0.020	0.000	0.020
27	उमरावसिंह, आलाजी, भारसिंह पिता बाबूलाल, राजूबाई, शारदाबाई, सुशीलाबाई पुत्री बाबूलाल	309/1	0.540	0.040	0.040	0.000
28	गजरातसिंह पिता बुखार	311/1	0.250	0.020	0.020	0.000

29	श्यामू बाई वि. अमरसिंह, रघुवीरसिंह, गजराजसिंह, जगदीश, राजू, बागसिंह, रणजीत, मुकेश पिता अमरसिंह, सुभद्राबाई, चंदाबाई पिता अमरसिंह	318	3.430	0.310	0.310	0.000
30	ओमप्रकाश पिता अंतरसिंह	319/1	0.76	0.110	0.110	0.000
31	गेंदालाल पिता अंतरसिंह	319/2	0.760	0.090	0.09	0.000
32	विजयसिंह पिता अंतरसिंह	319/3	0.760	0.100	0.100	0.000
33	सुरेन्द्रसिंह पिता जसवंतसिंह	320	1.500	0.250	0.250	0.000
34	गुलाबसिंह पिता रामाजी	321/1	2.500	0.070	0.070	0.000
		323/3	0.88	0.080	0.080	0.000
35	मांगीलाल पिता रामाजी	321/2	2.450	0.070	0.070	0.000
		323/1	0.960	0.030	0.030	0.000
36	ईश्वर पिता हीरालाल	324/2	2.030	0.190	0.190	0.000
37	कुसुमबाई पति जालमसिंह	233/1	0.080	0.010	0.000	0.010
38	शोभाराम, शिवनाथ पिता सीताराम, राकेश पिता राधेलाल, मुकेश नाबा. वली नीमाबाई, नीमाबाई बेवा राधेश्याम, रीनाबाई पुत्री राधेश्याम, लीलाबाई, कृष्णाबाई, सुशीलाबाई पिता सीताराम, रामे वर, भगवानसिंह, शांतिलाल, श्रीराम, रूखमणीबाई, बसुबाई, लक्ष्मीबाई, पिता रूघनाथसिंह, मोतीराम पिता नारायण	294/1	0.090	0.010	0.000	0.010
39	रामलाल पिता रामेश्वर	35	3.17	0.020	0.020	0.000
40	भीमसिंह पिता रामप्रसाद	237/1	0.100	0.040	0.040	0.000
41	लक्ष्मण पिता रामप्रसाद	237/2	0.100	0.030	0.030	0.000
42	जागेश्वर पिता रामप्रसाद	237/3	0.120	0.020	0.020	0.000
	<b>कुल- कृषक-42</b>	<b>कुल रकबा -3.670 है. सिंचित-3.340 है. असिंचित- 0.330 है.</b>				

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।  
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनास एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग

क्र. 16440

राजगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में किशनपुरिया तालाब तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम किशनपुरिया, कलीतलाई एवं जसापुरा के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## --: अनुसूची :-

## किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम किशनपुरिया

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	गोरीलाल पिता शंकर जाति नाई नि.ग्राम कालीतलाई	36/2	0.900	0.000	0.450	0.450
	योग	1	0.900	0.000	0.450	0.450
2	रामचन्द्र पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	37/4	1.012	0.375	0.000	0.375
	योग	1	1.012	0.375	0.000	0.375
3	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम जसापुरा	44/3/1	0.506	0.010	0.000	0.010
	योग	1	0.506	0.010	0.000	0.010
4	दुर्गाप्रसाद पिता भंवरलाल जाति बंजारा नि.ग्राम डूंगरपुर	48/2	0.492	0.010	0.000	0.010
	योग	1	0.492	0.010	0.000	0.010
5	बद्रीलाल पिता जालम जाति चारण कन.ग्राम भू-स्वामी	48/3	0.267	0.011	0.000	0.011
	योग	1	0.267	0.011	0.000	0.011
6	दूलीचन्द्र पिता जगन्नाथ जाति चमार	51/1	0.337	0.000	0.087	0.087
	योग	1	0.337	0.000	0.087	0.087
7	राधेध्याम पिता रामसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	65/1/2	0.253	0.100	0.000	0.100
	योग	1	0.253	0.100	0.000	0.100
	<b>कुलयोग :-</b>	<b>7</b>	<b>3.767</b>	<b>0.506</b>	<b>0.537</b>	<b>1.043</b>

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
<b>किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम कालीतलाई</b>						
1	गंगाराम पिता दोलतराम जाति बेलदार नि. ग्राम भू-स्वामी	606/1/1	0.238	0.000	0.004	0.004
	योग	1	0.238	0.000	0.004	0.004
2	कालू पिता दोलतराम जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	606/1/2	0.238	0.000	0.004	0.004
	योग	1	0.238	0.000	0.004	0.004
3	फूलसिंह पिता दोलतराम जाति बेलदार नि. ग्राम भू-स्वामी	606/1/3	0.238	0.000	0.004	0.004
	योग	1	0.238	0.000	0.004	0.004
4	भंवरलाल पिता गटदूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	654/1	0.494	0.094	0.000	0.094
	योग	1	0.494	0.094	0.000	0.094
5	देवचन्द, बद्रीलाल, मांगीबाई पिता शंकरलाल मु.गेंदीबाई बेवा शंकरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	612	0.101	0.000	0.051	0.051
	योग	1	0.101	0.000	0.051	0.051
6	अनोख, गुलाबचन्द पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	641	0.038	0.000	0.019	0.019
	योग	1	0.038	0.000	0.019	0.019
7	कालू पिता गोपी जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	578/3/4	0.717	0.143	0.000	0.143
	योग	1	0.717	0.143	0.000	0.143
8	भेरू पिता गोपी जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	578/3/5	0.716	0.000	0.144	0.144
	योग	1	0.716	0.000	0.144	0.144
9	रोड़जी पिता देवीलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भू-स्वामी	581/1	2.530	1.669	0.000	1.669
	योग	1	2.530	1.669	0.000	1.669
10	अनोखसिंह पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि. गाम भू-स्वामी	581/3	1.364	0.835	0.000	0.835
	योग	1	1.364	0.835	0.000	0.835
11	विजयसिंह पिता भंवरलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम भू-स्वामी	581/2 581/6	2.530 0.506	0.246 0.076	0.000 0.000	0.246 0.076
	योग	2	3.036	0.322	0.000	0.322

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
12	गुलाबचन्द पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम भू-स्वामी	581/4	1.364	0.495	0.000	0.495
	योग	1	1.364	0.495	0.000	0.495
	<b>कुलयोग :-</b>	<b>13</b>	<b>11.074</b>	<b>3.558</b>	<b>0.226</b>	<b>3.784</b>

किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम जसापुरा

1	लाड़बाई पति जगदीश जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	231/7/2	1.214	0.000	0.170	0.170
	योग	1	1.214	0.000	0.170	0.170
2	नर्वदाप्रसाद, श्यामबाबू, जगदीश प्रेमनारायण गोपाल पिता नन्दलाल रतनबाई पुर्णबाई पिता नन्दलाल मु. काशीबाई बेवा नन्दलाल हि. समान जाति सुनार नि. ग्राम चादूखेड़ा	231/8	1.491	0.170	0.000	0.170
	योग	1	1.491	0.170	0.000	0.170
3	लक्ष्मीनारायण, बहादुरसिंह पिता माधू मु. नोरंगबाई बेवा माधू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	236/3/1	2.276	0.000	0.034	0.034
	योग	1	2.276	0.000	0.034	0.034
4	मांगू पिता रामलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	236/3/2	2.277	0.000	0.035	0.035
	योग	1	2.277	0.000	0.035	0.035
	<b>कुलयोग :-</b>	<b>4</b>	<b>7.258</b>	<b>0.170</b>	<b>0.239</b>	<b>0.409</b>
	<b>महायोग :-</b>	<b>24</b>	<b>22.099</b>	<b>4.234</b>	<b>1.002</b>	<b>5.236</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र./ ए / 16442

राजगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकी राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम हरीपुरा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

## अनुसूची (1)

क्र.	विवरण	तहसील - जीरापुर		जिला राजगढ़
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर		
		कुल रकबा	अर्जित रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	11.525	2.727	
	<b>योग</b>	<b>11.525</b>	<b>2.727</b>	

## अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	गोरीलाल आ. गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2	2.000	0.050
	<b>योग</b>		<b>2.000</b>	<b>0.050</b>
2	इन्दरसिंह आ. कनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/3	2.000	0.400
	<b>योग</b>		<b>2.000</b>	<b>0.400</b>
3	नाथूलाल आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/1/3/1	1.757	0.365
	<b>योग</b>		<b>1.757</b>	<b>0.365</b>
4	पुरसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102	0.278	0.010
	<b>योग</b>		<b>0.278</b>	<b>0.010</b>
5	पूरसिंह मोतीलाल देवजी मानसिंह आ. कंवरलाल बदनबाई बेवा कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/1	2.023	0.209
	<b>योग</b>		<b>2.023</b>	<b>0.209</b>
6	पूरसिंह आ. कंवर लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/2	1.188	0.420
	<b>योग</b>		<b>1.188</b>	<b>0.420</b>
7	रतन पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/6	0.698	0.698
	<b>योग</b>		<b>0.698</b>	<b>0.698</b>
8	बालू सिंह आ. किशनलाल जड़ाव बाई बेवा किशन लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/5	1.075	0.275
	<b>योग</b>		<b>1.075</b>	<b>0.275</b>
9	जगन्नाथ बदेसिंह आ. मोती जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/7	0.506	0.300
	<b>योग</b>		<b>0.506</b>	<b>0.300</b>
	<b>महायोग</b>		<b>11.525</b>	<b>2.727</b>

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल  
 “कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

### भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित उपांतरणों की सूचना

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्रमांक 4459-वि.यो.-न.ग्रा.नि.-2017.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि भोपाल निवेश क्षेत्र की विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरणों का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया गया है, उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए निम्न स्थानों पर उपलब्ध हैं—

1. आयुक्त, कार्यालय, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर कार्यालय, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त कार्यालय, नगरपालिक निगम, भोपाल, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

संदीप यादव, आयुक्त-सह-संचालक.

#### अनुसूची प्रारूप नियमन

1. भोपाल विकास योजना 2005 में वर्णित “क्षेत्राधिकार” की कंडिका 4.11 के पश्चात् निम्न कंडिकाएं प्रतिस्थापित की जाती हैं:—

- 4.11-अ टी.डी.आर. (ट्रास्कफरेबल डेवलपमेन्ट राइट) हस्तांतरणीय विकास अधिकार के संबंध में राज्य शासन द्वारा जो भी विधिक प्रावधान लागू किये जाते हैं, वह विकास योजना के भाग होंगे.
- 4.11-ब टी.ओ.डी. (ट्रांजिट ऑरियण्टेड डेवलपमेंट) के संबंध में राज्य शासन द्वारा जो भी विधिक प्रावधान लागू किये जाते हैं, वह विकास योजना के भाग होंगे.

2. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.22 की सारणी क्रमांक-4-सा-3 में उपनगरीय केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र में “मल्टीप्लेक्स तथा शॉपिंग माल” जोड़ा जाता है.

3. कंडिका क्रमांक 4.30 के पश्चात् निम्न कंडिका स्थापित की जायें.

#### 4.30-अ शीतकेन्द्र/वेयर हाऊस के मानदण्ड

शीत केन्द्र/वेयर हाऊस के लिये निम्न नियमन रहेंगे.

- भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल-600 वर्गमीटर
- अधिकतम तलक्षेत्र अनुपात-1:0.40
- अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत
- भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई-नगर निगम सीमा में 12.0 मीटर तथा शेष निवेश क्षेत्र में 7.50 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र सामने-7.50 मीटर एवं तीनों ओर 6.00 मीटर होगा.

4. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.52 (2)(घ) को विलोपित किया जायें, तथा सारणी 4-सा-2 में टीप ‘ब’ के पश्चात् निम्नलिखित ‘स’ स्थापित किया जाता है.

स : सारणी 4-सा-2 के कॉलम क्रमांक-1 के सरल क्रमांक 10 से 14 के आवासीय भूखण्डों में नर्सिंग होम एवं क्लीनिक की गतिविधि निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ स्वीकार्य होगी.

- (a) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 372 वर्गमीटर (4000 वर्गफीट) होगा.
  - (b) भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर होगी.
  - (c) अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (F.A.R.) सीमांत खुला क्षेत्र (M.O.S.) एवं अधितम भू-आच्छादित क्षेत्र (Ground Coverage) अंगीकृत भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4-सा-2 अनुसार होंगे.
  - (d) भवन की अधिकतम ऊंचाई (Maximum Height) अंगीकृत भोपाल विकास योजना 2005 में आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य अनुसार मान्य होगी.
  - (e) पार्किंग प्रति 75.0 वर्गमीटर निर्माण पर-1 ई.सी.एस. (E.C.S.) यह पार्किंग व्यवस्था संस्था के प्रांगण/भवन में अथवा 1000 मीटर दायरे के अन्दर विकसित निजी/सार्वजनिक स्थल पर नगर निवेशक नगर निगम की संतुष्टि अनुसार होनी चाहिये. सार्वजनिक स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा किये जाने की दशा में प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकेगी, जिसे जमा करने हेतु एक अलग मद स्थानीय संस्था द्वारा सृजित किया जायेगा. तथा इस मद में प्राप्त राशि केवल सार्वजनिक स्थल की पार्किंग व्यवस्था हेतु आहरण कर व्यय की जा सकेगी. भूखण्ड के सामने का सम्पूर्ण सीमान्त खुला क्षेत्र (M.O.S.) बिना शर्त पब्लिक पार्किंग हेतु मार्ग लेवल पर पार्किंग हेतु विकसित कर समर्पण करना होगा. पार्किंग हेतु गणना में इस समर्पित क्षेत्र पर विकास योजना की कंडिका 4.26 का प्रावधान लागू नहीं होगा.
  - (f) यदि विद्यमान भवन उपरोक्त नियम में दिये गये मापदण्ड पूरा करता है, तो संबंधित प्राधिकारी भवन अधिभोग परिवर्तन के लिये स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित एकमुश्त अधिभोग परिवर्तन शुल्क एवं वार्षिक परिवर्तन शुल्क लेकर चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की अनुमति दे सकेगा.
  - (g) नवीन भवन हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क, वाणिज्यिक उपयोग हेतु लागू नियम 21(3) (ख)-2 के अनुसार देय होगा. नवीन भवन अनुमति के समय पार्किंग प्रति 75 वर्ग मीटर निर्माण पर 1 ECS भूखण्ड में करना अनिवार्य होगा.
5. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.57 की सारणी 4-सा-17 के क्रमांक 29 के पश्चात् क्रमांक-30 स्थापित किया जाता है.

30. विवाह पार्क (मेरिज गार्डन)	P	P	P	NP	NP
उपरोक्त गतिविधि समस्त वाणिज्यिक उपयोग क्षेत्रों में मान्य होगी.					

6. भोपाल विकास योजना 2005 के अध्याय-4 के पैरा 4.56 के अन्य नियंत्रण (2) के पश्चात् निम्न स्थापित किया जाता है.

फार्म हाउस, कृषि पर्यटन सुविधा, विवाह पार्क (मेरिज गार्डन), पटाखा दुकान/गोदाम के नियमन :-

- (i) वन आवास (फार्म हाउस) :-  
वन आवास के नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 के अनुरूप होंगे.
- (ii) कृषि पर्यटन सुविधा :-  
कृषि पर्यटन सुविधा के नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुरूप होंगे.
- (iii) विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) :-  
विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) के नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (3) (तीन) के अनुरूप होंगे.
- (iv) पटाखा दुकान/गोदाम :-  
  - (a) न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल—100 वर्गमीटर
  - (b) भूतल कव्हेरेज अधिकतम—30 प्रतिशत
  - (c) एफ.ए.आर. : 1:0.30
  - (d) अधिकतम ऊंचाई—4.5 मीटर
  - (e) न्यूनतम खुला क्षेत्र—सामने 3.0 मीटर एवं अन्य तीनों ओर 1.5 मीटर.

- टीप.—** 1. अग्नि सुरक्षा/विस्फोटक नियमन हेतु लागू सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।  
2. ग्रामीण आबादी से पटाखा व्यवसाय की न्यूनतम दूरी 0.5 किलोमीटर होगी अथवा जिला प्रशासन द्वारा लागू नियमन मान्य होंगे।
- (v) **मल्टीप्लेक्स**—मल्टीप्लेक्स के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के अनुरूप होंगे। फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4-सा-2 (अ) एवं सारणी 4-सा-2 (ब) से नियंत्रित होगी।
- (vi) **शॉपिंग माल**—शॉपिंग माल के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4-सा-2 (अ) एवं सारणी 4-सा-2(ब) से नियंत्रित होगी।
- (vii) **खुला माल**—खुला माल के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4-सा-2 (अ) एवं सारणी 4-सा-2(ब) से नियंत्रित होगी।
7. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.35 की सारणी 4-सा-9 को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप सारणी 6 लागू होगी। साथ ही भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4-सा-8 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 25 जनवरी 2013 के सरल क्रमांक 19 में/के द्वारा विलोपित किया गया था उसे यथावत पुनर्स्थापित किया जाता है।
8. (i) कंडिका क्रमांक 4.61 ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित) में “सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सेवाएं” के स्थान पर “जन उपयोगिता एवं सुविधाएं” प्रतिस्थापित किया जाता है, जो भोपाल विकास योजना की कंडिका 4.35 की सारणी 4-सा-8 के कॉलम क्रमांक-2 में “प्रकार” के रूप में सरल क्रमांक-3 एवं 5 में वर्णित है।
- (ii) कंडिका क्रमांक 4.61 ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित) में चारागाह एवं वृक्षारोपण के बाद निम्न जोड़ा जाता है:—  
फार्म हाउस, कृषि पर्यटन सुविधा, विवाह पार्क (मेरिज गार्डन), पटाखा दुकान/गोदाम, खुला मॉल.

### कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. 528-स्था.निर्वा.-मण्डी उप निर्वा.-2017.—जिले की स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए प्रथम स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लेखित प्रथम सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए एवं स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिये सम्यकरूप से निर्वाचित हुए हैं। अतः, मैं, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायसेन, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12(9) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 84 (20) के अनुसरण में, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करती हूँ:—

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम	प्रथम सम्मिलन का दिनांक	अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम एवं पता	उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	12-बेगमगंज	21-4-2017	—	श्री माधोसिंह पिता श्री चिरोजीलाल, निवासी वार्ड क्र. 2, गम्भीरिया, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म. प्र.).
2	15-उदयपुरा	21-6-2017	—	श्री संतोष कुमार रघुवंशी, निवासी ग्राम करहैयाकलां, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म. प्र.).
3	10-औबेदुल्लागंज	14-8-2017	श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री प्रवीण कुमार, निवासी ग्राम तामोट, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म. प्र.).	श्रीमती शकुन पिता श्री हरीशंकर, निवासी ग्राम उमरावगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म. प्र.).

भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 1 मई 2017

क्र. 211-भू-अर्जन 2017.—जिला सतना स्थित ग्राम मैनपुरा की निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि दिनांक 28 मई 1992 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानों के तहत टोन्स जल विद्युत् परियोजना हेतु अर्जित की गई थी, चूंकि ये भूमि डूब क्षेत्र में बाहर है तथा मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी निर्देश एफ-12-17/2007/सात-2ए/भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-1 के क्रमांक (4) के प्रावधानों के तहत मूल भू-स्वामियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को तत्समय भुगतान की गई प्रतिकर राशि वापस करने की दशा में निम्न अनुसूची में उल्लिखित विवरण अनुसार वापस करने का निर्णय लिया गया है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—कोटर  
(ग) नगर/ग्राम—मैनपुरा  
(घ) क्षेत्रफल—9.855 हेक्टेयर.

खसरा नं.	वापस योग्य रकबा (हे. में)
(1)	(2)
91/1	0.170
91/2	0.650
91/3	1.080
143	0.543
153	0.129
157	0.640
160	0.376
168	0.350
155	0.600
185	0.046
189/202	0.344
158/200	0.045
146	0.210
167	0.918
173	0.466
172	0.280
191	0.332
192	0.146
195	0.227

(1)	(2)
150	0.700
151	0.304
95/1	0.267
95/2	0.140
144	0.050
152	0.150
147	0.249
148	0.090
149/1	0.205
149/2	0.148
म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर	
निजी खाता भूमि योग . .	9.855

- (2) उक्त भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, कलेक्टर, सतना के भू-अर्जन शाखा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है.
- (3) कोई भी प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि के अन्दर अपना आपत्ति/दावा कार्यालय कलेक्टर जिला सतना में प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते हैं. उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार के आपत्ति दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे.

सतना, दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. 465-भू-अर्जन 2017.—जिला सतना स्थित ग्राम गजिगवा की निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि दिनांक 28 मई 1992 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानों के तहत टोन्स जल विद्युत् परियोजना हेतु अर्जित की गई थी, चूंकि ये भूमि डूब क्षेत्र में बाहर है तथा मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी निर्देश एफ-12-17/2007/सात-2ए/भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-1 के क्रमांक (4) के प्रावधानों के तहत मूल भू-स्वामियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को तत्समय भुगतान की गई प्रतिकर राशि वापस करने की दशा में निम्न अनुसूची में उल्लिखित विवरण अनुसार वापस करने का निर्णय लिया गया है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—गजिगवां	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—35.354 हेक्टेयर.	681	0.532
खसरा नं.	वापस योग्य रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
1	0.210	661/2
4/1	0.114	662
4/2	0.113	670/2
4/3	0.113	672/2
5/1	0.110	682
5/2	0.110	685
5/3	0.110	689
10	1.267	572
10/713	0.890	698
12	1.090	573
14/1क/1	0.056	519
15/1	0.140	520/1
51/1क	0.125	665
14/1क/2	0.056	666
15/2	0.140	687
51/1ख	0.125	688
13/2क	0.070	690
17	0.320	695
13/2ख	0.070	657/2
13/3	0.020	673/735/1
13/4	0.020	657/3
14/2क	0.057	673/735/2
14/2ख	0.057	657/4
18/1ख	0.172	673/735/3
18/2	0.348	657/5
14/3	0.114	673/735/4
51/3	0.250	657/6
54	0.250	673/735/5
57	0.138	657/7
58	0.713	673/735/6
100	0.150	59
104/3	0.400	61/714
104/1	0.600	512/1
104/2	0.220	520/3
575	1.090	524/1
609	0.247	512/729
655	0.770	520/4
657/1	0.902	520/2
655/734	0.530	521
678	0.100	523/1
671	3.436	522
672/1	0.077	523/2
		524/2
		584/2
		587
		607

(1)	(2)	(1)	(2)
658	0.235	791	0.040
659	0.547	653	1.630
679	0.253	656/1	1.237
660	1.019	657	0.628
51/2क	0.125	621	0.502
109	0.020	670	1.082
म.प्र.पा.ज.कं.लि., सिरमौर की		671	0.049
निजी खाता भूमि का योग . .	35.354	652	0.040
		649	1.149
(2) उक्त भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, कलेक्टर, सतना के भू-अर्जन शाखा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है.		654	0.943
		656/2	0.198
		648/1	2.196
		655	0.409
(3) कोई भी प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि के अन्दर अपना आपत्ति दावा कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना में प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते हैं. उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार के आपत्ति दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे.		663	0.069
		770/1320/4	0.347
		770/1320/1	1.046
		770/1320/3	0.347
		770/1320/2	0.347
		770/1320/5	0.347
		1290/1ब	0.040
		1290/1अ	0.040
		1290/1स	0.040
		707	1.918
		813/3	0.012
		814/3	0.020
		816/3	0.020
		817/3	0.032
		812/3	0.130
		815/3	0.033
		805	0.020
		818/2	0.121
		818/1ख	0.166
		818/1	0.008
		1301/2	0.210
		702	0.800
		1301/1	0.162
		703/2	0.325
		703/1	1.134
		1302	0.634
		1051	0.667
		1052	0.223
		1055	0.421
		1057	0.134
		1056	0.053
		618/1	0.656
		710/1	0.747
		618/2	0.656
खसरा नं.	वापस योग्य रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
711	0.081		
712	0.154		
713	1.799		

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—गोरइया

(घ) क्षेत्रफल—52.468 हेक्टेयर.

खसरा नं.

वापस योग्य रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

711

0.081

712

0.154

713

1.799

(1)	(2)
710/2	0.747
788	0.652
787	0.247
1292	0.132
1295/2	0.040
812/2	0.130
1295/1	0.360
812/1	0.130
1293	0.153
1311	0.150
1288	0.231
596	0.012
598	0.510
597	0.555
717	1.050
763	7.405
608	0.372
599	0.090
623/1	0.180
623/2	0.200
682/2	0.561
683/2	1.354
687	0.089
617	0.405
682/1	0.557
683/1	1.358
806	0.538
813/2	0.012
814/2	0.024
815/2	0.034
816/2	0.021
817/2	0.032
813/1	0.012
814/1	0.024
815/1	0.033
816/1	0.020
817/1	0.036
665	0.105
666	0.780
810	0.012
811	3.337
1188	0.233
1190	0.260
1298	0.383
1294	0.362
1312	0.080
1291	0.200

(1)	(2)
1305	0.050
1310	0.160
1308	0.080
1309	0.100
1306	0.050
1307	0.080
1300	0.480
1299	0.428
648/2	0.548
1297	0.208
1290/3	0.100
1289	0.526
1290/2	0.283
1304	0.010
1296	0.336
1303	0.759
योग . .	<u>52.468</u>

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, कलेक्टर, सतना के भू-अर्जन शाखा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है.
- (3) कोई भी प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि के अन्दर अपना आपत्ति दावा कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना में प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते हैं. उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार के आपत्ति दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्र. भू-अर्जन-08-(अ-82)2016-17-119.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के

लिये आवश्यकता है :-

		(1)	(2)
अनुसूची		378	0.05
(1) भूमि का वर्णन—		402	0.28
		377	0.42
(क) जिला—मण्डला		406	0.06
(ख) तहसील—घुघरी		403	0.36
(ग) ग्राम—धनगांव, प. ह. नं. 40		401/1	0.24
(घ) क्षेत्रफल—14.96 हेक्टेयर.		401/2	0.01
		452/3	0.10
खसरा	रकबा	456	0.41
नंबर	(हे. में)	457	0.37
(1)	(2)	458	0.17
221	0.31	459	0.29
222/1	0.25	460	0.07
222/2	0.59	467	0.27
222/3	0.03	468/1	0.03
224/1	0.37	468/2	0.10
224/2	0.02	470	0.04
225	0.19	495	0.58
256	0.08	494	0.04
249	0.34	493	0.31
248/1	0.06	685/1	0.75
248/2	0.10	685/2	0.04
251	0.03	686	0.27
265	0.08	684	0.01
266	0.08	682	0.01
267	0.07	693	0.14
268	0.18	694	0.06
269	0.27	692	0.10
264/2	0.04	680	0.72
270	0.17	662/1	0.63
271	0.03	662/2	0.23
272	0.11	639	0.30
287	0.06	567	0.11
381/1	0.02	585	0.53
384	0.02	583	0.04
385	0.02	584	0.01
386	0.32	589/2	0.03
387	0.19	586	0.26
388	0.37	622/1	0.01
389	0.24	587	0.16
379	0.59	588/1	0.02
397	0.08	588/2	0.07



(1)	(2)	(1)	(2)
607	0.18	121/2	0.07
608	0.33	120/3	0.32
611	0.06	113/2	0.21
609	0.04	119	0.11
610	0.13	114/2	0.27
612/2	0.19	40	0.19
679	0.02	46	0.01
योग : 14.96		48/19	0.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.		48/18	0.15
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.mandla.nic.in">www.mandla.nic.in</a> व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखी जा सकती है.		48/16	0.15
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.		48/15	0.06
		48/10	0.16
		48/1	0.13
		33	0.71
		32	0.03
		6	0.30
		34	0.03
		योग : 3.62	

क्र. भू-अर्जन-09-(अ-82)2016-17-120.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—घुघरी  
(ग) ग्राम—पौंडी, प. ह. नं. 40  
(घ) क्षेत्रफल—3.62 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
109	0.18
123/1	0.10
123/3	0.10
123/4	0.03
123/5	0.07
122	0.15
121/1	0.05

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-10-(अ-82)2016-17-121.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—घुघरी

(ग) ग्राम—जुनवानी, प. ह. नं. 40	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—17.60 हेक्टेयर.	94	0.48
	101	0.01
खसरा	95/2	0.01
नंबर	95/3	0.20
(1)	95/4	0.03
180	93	0.56
718/220	92	0.05
219	91	0.19
216	90/2	0.03
699/210	90/3	0.03
213	90/4	0.03
214	17	0.59
206	19/2	0.01
715/205	704/16	0.57
706/203	14/1	0.12
707/1/249	14/2	0.11
205	11	0.43
204	8	0.29
203	9	0.01
188	6	0.42
202	7/2	0.40
189	7/9	0.01
191	7/3	0.44
190	1/1	0.49
157	2/1	0.27
158		योग : 17.60
159		
160/1		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
160/2		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.mandla.nic.in">www.mandla.nic.in</a> व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखी जा सकती है.
160/3		(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
128/1		
138		
132		
129		
709/125		
710/125		
125/1		
123		
118		
115		
107		
110		
108		
109		
104		

क्र. भू-अर्जन-11-(अ-82)2016-17-122.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों

के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—घुघरी  
(ग) ग्राम—खजरी, प. ह. नं. 39  
(घ) क्षेत्रफल—1.12 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
222	0.15
223/1	0.33
223/2	0.32
224	0.32
योग : 1.12	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13-(अ-82)2016-17-123.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—बिछिया  
(ग) ग्राम—फोंक, प. ह. नं. 29  
(घ) क्षेत्रफल—7.73 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
293	4.44

(1)	(2)
62	0.40
37/2	0.30
35	0.80
36/1	0.67
36/2	0.67
64	0.45
योग : 7.73	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-14-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—बिछिया  
(ग) ग्राम—करंजिया माल, प. ह. नं. 28  
(घ) क्षेत्रफल—0.11 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
563/3	0.11
योग : 0.11	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.

- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-15-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—बिछिया  
(ग) ग्राम—करंजिया रैयत, प. ह. नं. 28  
(घ) क्षेत्रफल—0.04 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/6	0.04
योग : 0.04	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-16-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—बिछिया  
(ग) ग्राम—पड़रिया, प. ह. नं. 31  
(घ) क्षेत्रफल—2.72 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
517	0.14
521	0.13
520	0.21
523/1	0.27
523/2	0.15
522	0.03
532/699	0.11
531	0.07
532	0.32
81	0.41
80	0.25
82	0.01
77	0.48
76/1	0.01
76/2	0.13
योग : 2.72	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. भू-अर्जन-17-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों

के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—बिछिया  
(ग) ग्राम—कैवलारी रैयत, प. ह. नं. 33  
(घ) क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
422/1	0.12

योग : 0.12

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. भू-अर्जन-18-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—बिछिया  
(ग) ग्राम—भपसा, प. ह. नं. 34  
(घ) क्षेत्रफल—0.10 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
127	0.10

योग : 0.10

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सूफिया फारुकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 22 अगस्त 2017

प्र. क्र. 07-अ-82 वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर

खसरा नंबर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1/1/मिन-4	0.100	निजी भूमि
1/3/3/1	0.125	निजी भूमि
1/3/3/2	0.125	निजी भूमि
3/2/1/2	0.030	निजी भूमि
1/4/क	0.140	निजी भूमि
2/2/ख	0.041	निजी भूमि
3/1/5	0.030	निजी भूमि
3/2/ख	0.190	निजी भूमि
1/2/क/मिन/1	0.080	निजी भूमि
कुल रकबा	0.861	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. पी. आईरीन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 33-अ-82-2016-17-3219.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल  
(ख) तहसील—सोहागपुर  
(ग) ग्राम—कोटमा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.809 हेक्टेयर (भूमि एवं सम्पत्ति)

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1552/2	0.809

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि., शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 25 अगस्त 2017

प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके लिए यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि के लिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—गौरिहार  
(ग) ग्राम—फत्तेहपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.014 हेक्टेयर.

भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
श्री भैयालाल, जीवन तनय कलुआ केवट.	40/8	0.150
श्री रामफली तनय महादेव	47/3	0.010
श्री दुर्जन व दुर्गा प्रसाद तनय मथुरा अहीर.	40/11	0.070
श्री कैलाश तनय मुन्नी लाल	47/1	0.250
श्री भगवानदीन तनय जोधा	48	0.410
श्री करन तनय रामसनेही अहीर	47/2	0.120

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
श्री रामस्वरूप, रामकरन, रामशरन	31	0.004	189	0.093
तनय शिवपालक वगैरह.			188	0.014
	योग	<u>1.014</u>	187	0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—लोक निर्माण विभाग सेतु परियोजना संभाग सागर.			498	0.071
			499	0.072
			186	0.145
(3) भूमि के नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.			185	0.071
			184	0.094
			183	0.113
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,			182	0.246
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			560	0.206
			561	0.037
			558	0.143
कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,			557	0.239
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं			556	0.035
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			555	0.076
			554	0.081
रीवा, दिनांक 25 अगस्त 2017			552	0.002
			547	0.285
पत्र क्र. 1437-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—			548	0.008
			608	0.338
			606	0.014
			607	0.039
			597	0.011
			562	0.027
			564	0.072
			177	0.154
अनुसूची			175	0.059
(1) भूमि का वर्णन—			174	0.033
(क) जिला—सतना			160	0.094
(ख) तहसील—अमरपाटन			90	0.039
(ग) ग्राम—कल्ला			91	0.005
(घ) क्षेत्रफल—4.084 हेक्टेयर.			95	0.048
खसरा नं.	अर्जित रकबा		86	0.034
	(हेक्टेयर में)		85	0.027
(1)	(2)		83	0.051
			84	0.008
अ-निजी पट्टे की भूमि			97	0.026
262	0.166		98	0.007
271	0.077		47	0.121
272	0.169		48	0.007
268	0.021		55	0.062

(1)	(2)	(3)
56	0.025	
54	0.007	
16	0.233	
15	0.009	
13	0.031	
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>4.048</u>	
<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>		
193	0.027	
1	0.009	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.036</u>	
अ + ब का योग . .	<u>4.084</u>	
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,	
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पत्र क्र. 1439-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—समोगर उन्मुक्त  
(घ) क्षेत्रफल—3.500 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

2	0.032
45	0.079

(1)	(2)
46	0.476
44	0.065
43	0.027
42	0.002
6	0.535
27	0.026
28	0.311
116	0.027
115	0.149
114	0.064
113	0.013
112	0.018
111	0.257
131	0.103
136	0.280
135	0.002
137	0.099
145	0.013
139	0.213
144	0.226
143	0.127
154	0.100
155	0.028
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.272</u>
<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>	
119	0.052
167	0.048
142	0.089
140	0.039
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.228</u>
अ + ब का योग . .	<u>3.500</u>
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.



पत्र क्र. 1441-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—बरा  
(घ) क्षेत्रफल—2.013 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
42	0.116
43	0.029
41	0.016
44	0.093
45	0.120
40	0.048
39	0.004
58	0.014
59	0.084
60	0.160
53	0.117
61	0.046
70	0.144
69	0.274
72	0.026
68	0.076
67	0.001
73	0.362
74	0.280
62	0.003
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.013

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	2.013

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बेला वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1443-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—खुटहा  
(घ) क्षेत्रफल—0.650 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
1312	0.182
1314	0.005
1313	0.099
1316	0.122
1317	0.002
1321	0.021
1318	0.008
1320	0.021
1319	0.187
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.647
<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>	
1311	0.003
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.003
अ + ब का योग . .	0.650

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बेला वितरक नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1445-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—पोडीकला  
(घ) क्षेत्रफल—1.183 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

118	0.082
119	0.009
120	0.024
126	0.008
127	0.156
129	0.090
130	0.028
131	0.070
156	0.058
152	0.001
153	0.039
149	0.061
148	0.021
86	0.048
85	0.046
83	0.050
60	0.004
23	0.003
22	0.070
18	0.121
12	0.004
14	0.004
288	0.002
289	0.006
291	0.029
61	0.052

(1) (2)

68 0.051

62 0.039

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.176

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

15 0.007

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.007

अ + ब का योग . . . 1.183

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 18” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1447-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—घुइसा  
(घ) क्षेत्रफल—2.804 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

438	0.014
437	0.046
436	0.057
447	0.051
448	0.059
426	0.011
449	0.013



(1)	(2)
266	0.053
267	0.065
269	0.073
438	0.051
272	0.048
273	0.053
282	0.032
283	0.027
280	0.057
631	0.006
625	0.081
624	0.033
622	0.005
621	0.036
617	0.061
615	0.044
613	0.028
618	0.004
612	0.042
611	0.011
610	0.016
605	0.038
604	0.027
559	0.018
560	0.161
561	0.073
562	0.056
570	0.027
563	0.052
572	0.093
661	0.100
579	0.224
577	0.073
576	0.016
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.908

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	1.908

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1451-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—मझगवां  
(घ) क्षेत्रफल—0.271 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

##### अ-निजी पट्टे की भूमि

984	0.109
874	0.010
619	0.013
630	0.001
631	0.060
632	0.056
633	0.007
634	0.004
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.260

##### ब-म. प्र. शासन की भूमि

982	0.011
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.011
अ + ब का योग . .	0.271

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 14” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1453-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—लोखरी  
(घ) क्षेत्रफल—0.313 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
156	0.033
155	0.030
154	0.005
157	0.020
160	0.009
161	0.047
162	0.043
163	0.016
164/1	0.039
164/2	0.022
199	0.039
205	0.001
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.304
<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>	
200	0.009
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.009
अ + ब का योग . .	0.313

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 14” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1455-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—इटमा  
(घ) क्षेत्रफल—2.406 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
1056	0.092
1055	0.012
1052	0.006
1051	0.042
1057	0.010
1060	0.070
1067	0.008
963	0.167
964	0.010
965	0.006
971	0.054
973	0.001
976	0.019
975	0.026
961	0.008
960	0.067
959	0.007
947	0.108
892	0.003
891	0.090
810	0.064
812	0.001
807	0.035

(1)	(2)	(ग) ग्राम—खडगड़ा	(घ) क्षेत्रफल—0.656 हेक्टेयर.
811	0.004		
797	0.051	खसरा नं.	अर्जित रकबा
806/1146	0.050		(हेक्टेयर में)
798	0.042	(1)	(2)
772	0.071		अ-निजी पट्टे की भूमि
770	0.066	152	0.040
659	0.052	151	0.005
661	0.038	149	0.020
662	0.068	150	0.033
663	0.023	146	0.008
664	0.033	170	0.001
650	0.075	169	0.031
651	0.007	167	0.036
548	0.708	173	0.003
526	0.195	174	0.057
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.389	175	0.025
		132	0.002
		178	0.027
		131	0.047
		179	0.006
		228	0.011
		229	0.011
		230	0.010
		225	0.028
		226	0.002
		224	0.020
		241	0.001
		242	0.018
		243	0.015
		239	0.009
		238	0.032
		236	0.005
		237	0.014
		282	0.065
		281	0.011
		280	0.001
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.594

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

148

168

244

0.041

0.007

0.004

### ब-म. प्र. शासन की भूमि

पत्र क्र. 1457-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.594

(1)	(2)
278	0.010
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.062
अ + ब का योग . .	0.656
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पत्र क्र. 1459-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान  
(ग) ग्राम—खटखरी  
(घ) क्षेत्रफल—1.709 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

11	0.271
12	0.002
13	0.045
16	0.196
15	0.028
22	0.003
21	0.030
23	0.044
20	0.004
24	0.046
25	0.122
57	0.210

(1)	(2)
61	0.122
62	0.010
64	0.083
60	0.119
85	0.031
86	0.012
91	0.245
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.623

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

1	0.049
40	0.019
90	0.018
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.086
अ + ब का योग . .	1.709

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1461-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—सेहरुआ नं. 2  
(घ) क्षेत्रफल—1.151 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

193	0.002
191	0.172

(1)	(2)
196	0.049
155	0.162
199	0.002
154	0.114
200	0.112
131	0.009
206	0.031
208	0.271
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	0.924

**ब-म. प्र. शासन की भूमि**

205	0.227
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.227
अ + ब का योग . . .	1.151

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1463-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान  
(ग) ग्राम—करही कोठार  
(घ) क्षेत्रफल—1.017 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
70	0.200
71	0.015

(1)	(2)
69	0.006
68	0.009
61	0.170
59	0.095
9	0.026
10	0.071
7	0.037
11	0.031
6	0.046
5	0.102
15	0.132
2	0.025
1	0.002
16	0.032

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.999

**ब-म. प्र. शासन की भूमि**

96	0.018
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.018
अ + ब का योग . . .	1.017

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1465-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर



(ग) ग्राम—लोही 575	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—4.302 हेक्टेयर.	744	0.006
खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
अ-निजी पट्टे की भूमि		
513	0.090	792
512	0.018	1040
511	0.007	1047
510	0.023	1048
551	0.035	1079
552	0.038	1080
555	0.041	1081
554	0.010	1121
559	0.041	1122
558	0.030	1120
560	0.006	1140
550	0.002	1139
561	0.029	1138
562	0.001	1137
563	0.084	1136
576	0.006	1141
575	0.060	956
574	0.066	1142
573	0.051	955
585	0.120	943
586	0.080	944
652	0.097	945
651	0.095	946
650	0.041	947
649	0.038	949
648	0.009	834
686	0.108	835
687	0.005	816
694	0.076	817
693	0.004	818
727	0.039	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .
728	0.042	4.256
729	0.010	ब-म. प्र. शासन की भूमि
768	0.069	789
767	0.031	568
742	0.001	822
743	0.161	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .
		0.046
		अ + ब का योग . .
		4.302

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 14” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	367	0.012
	304	0.007
	306	0.012
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	305	0.025
	280	0.096
	276	0.068
	275	0.087
	269	0.074
	271	0.051
	167	0.078
	118	0.028
	117	0.024
	116	0.006
	100	0.048
	99	0.033
	86	0.020
	84	0.035
	83	0.009
	70	0.140
	71	0.008
	52	0.085
	53	0.009
	44	0.095
	45	0.010
	19	0.107
	22	0.009
	15	0.169
	14	0.001
	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 3.030	

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—माजन 526

(घ) क्षेत्रफल—3.051 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

388	0.144
387	0.086
383	0.197
359	0.169
358	0.002
320	0.153
340	0.055
341	0.105
336	0.006
339	0.060
342	0.075
344	0.077
345	0.020
346	0.085
319	0.052
361	0.066
316	0.089
366	0.243

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

347	0.021
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.021	
अ + ब का योग . . . 3.051	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1469-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) ग्राम—भांटी 472  
(घ) क्षेत्रफल—0.550 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
1211	0.010
1216	0.232
1217	0.058
1215	0.005
1136	0.047
1135	0.007
1223	0.026
1222	0.003
1224	0.022
1228	0.051
1221	0.001
1229	0.003
1232	0.041
1235	0.002
1238	0.016
1237	0.026

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.550

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000  
अ + ब का योग . . . 0.550

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1471-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) ग्राम—नवागाँव 314  
(घ) क्षेत्रफल—0.777 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
791	0.140
794	0.019
798	0.114
797	0.002
801	0.090
803	0.072
804	0.011
726	0.210
725	0.087
802	0.002
793	0.002
795	0.011
800	0.017

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.777

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000  
अ + ब का योग . . . 0.777

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1473-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ  
(ग) ग्राम—पहाऊ 355  
(घ) क्षेत्रफल—0.062 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
281	0.041
302	0.021
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.062</u>

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	<u>0.062</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 3 एवं 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1475-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ  
(ग) ग्राम—रकरिया 542

#### (घ) क्षेत्रफल—0.041 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
204	0.041
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.041</u>

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	<u>0.041</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1477-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ  
(ग) ग्राम—चदिहर 176  
(घ) क्षेत्रफल—0.129 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
142	0.129
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.129</u>

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	<u>0.129</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती

नहर के अन्तर्गत रहतरा वितरक के माइनर क्र. 5'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1479-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ  
(ग) ग्राम—हटवा 629  
(घ) क्षेत्रफल—1.595 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

### अ-निजी पट्टे की भूमि

251	0.115
252	0.098
254	0.027
262	0.056
261	0.010
265	0.001
260	0.162
259	0.027
256	0.004
257	0.071
295	0.030
294	0.040
296	0.078
297	0.051
255	0.005
293	0.021
133	0.098
128	0.008
130	0.141

(1)	(2)
124	0.029
122	0.010
121	0.118
120	0.017
119	0.089
117	0.067
103	0.014
104	0.077
14	0.031
105	0.026
113	0.001
106	0.050
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	1.572

### ब-म. प्र. शासन की भूमि

125	0.023
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.023
अ + ब का योग . . .	1.595

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रहतरा वितरक के माइनर क्र. 7'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1481-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवाँ  
(ग) ग्राम—डेलही 242  
(घ) क्षेत्रफल—3.886 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

### अ-निजी पट्टे की भूमि

672	0.188
679	0.014

(1)	(2)	(1)	(2)
682	0.002	159	0.187
680	0.027	145	0.052
683	0.190	94	0.084
685	0.009	93	0.059
686	0.260	96	0.117
691	0.009	98	0.062
693	0.011	92	0.005
690	0.018	99	0.012
706	0.099	91	0.001
705	0.017	100	0.088
699	0.146	101	0.003
700	0.008	107	0.060
704	0.231	551	0.052
703	0.011	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.838</u>
702	0.010	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
729	0.001	550	0.015
701	0.022	540	0.017
645	0.029	144	0.011
644	0.009	105	0.004
642	0.290	108	0.001
639	0.003	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.048</u>
643	0.014	अ + ब का योग . .	<u>3.886</u>
625	0.001	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती	
616	0.353	नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली	
615	0.012	निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन	
474	0.154	हेतु.	
475	0.004	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
555	0.006	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
476	0.037	जा सकता है.	
553	0.011	पत्र क्र. 1483-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को	
542	0.160	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
541	0.006	(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
528	0.001	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
525	0.004	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
529	0.112	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा,	
524	0.017	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित	
523	0.026	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
173	0.097	अनुसूची	
174	0.239	(1) भूमि का वर्णन—	
175	0.026	(क) जिला—रीवा	
160	0.164	(ख) तहसील—मनगावां	
151	0.008	(ग) ग्राम—कठेरी 42	

(घ) क्षेत्रफल—2.477 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

1335	0.028
1370	0.169
1373	0.010
1385	0.029
1384	0.006
1334	0.005
1333	0.241
1332	0.010
1331	0.103
1328	0.057
1324	0.072
1325	0.076
1307	0.010
1310	0.053
1309	0.050
1308	0.071
1313	0.018
1288	0.090
1289	0.083
1290	0.003
1284	0.082
714	0.001
716	0.118
670	0.231
669	0.004
720	0.007
568	0.028
567	0.019
566	0.058
577	0.051
1369	0.001
1375	0.036
1374	0.129
1087	0.058
1089	0.020
1088	0.074
1082	0.103

(1)

(2)

1339

0.034

1285

0.007

569

0.135

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 2.380

अ-निजी पट्टे की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1092

0.022

1085

0.004

1083

0.007

1084

0.064

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.097

अ + ब का योग . . . 2.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1485-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर-कर्चुलियान

(ग) ग्राम—खजुआवन 128

(घ) क्षेत्रफल—1.078 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

226

0.098

225

0.078

232

0.001

224

0.046

223

0.020

222

0.052

(1)	(2)	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-	
242	0.058	<b>अनुसूची</b>	
216	0.058	(1) भूमि का वर्णन—	
203	0.098	(क) जिला—रीवा	
207	0.011	(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान	
208	0.051	(ग) ग्राम—पटना 329	
210	0.114	(घ) क्षेत्रफल—1.644 हेक्टेयर.	
212	0.001	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
157	0.140	(1)	(2)
156	0.050	<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
117	0.058	289	0.112
118	0.002	290	0.256
119	0.007	291	0.087
101	0.020	521	0.082
102	0.011	519	0.043
92	0.006	518	0.026
99	0.019	517	0.019
93	0.007	515	0.109
94	0.008	436	0.173
95	0.005	437	0.015
27	0.017	433	0.045
25	0.013	438	0.002
26	0.009	429	0.139
13	0.005	428	0.002
14	0.003	452	0.160
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.066	453	0.215
		454	0.048
		456	0.002
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.535
		<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>	
		516	0.039
		432	0.045
		435	0.010
		457	0.015
		म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.109
		अ + ब का योग . .	1.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1487-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.



पत्र क्र. 1489-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—नाइन 316

(घ) क्षेत्रफल—1.794 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

45	0.030
39	0.002
41	0.005
42	0.036
40	0.037
59	0.016
61	0.026
63	0.023
64	0.014
65	0.024
66	0.026
29	0.157
264	0.011
261	0.035
260	0.093
259	0.108
254	0.011
255	0.056
247	0.012
251	0.001
250	0.006
248	0.024
249	0.003
224	0.013
225	0.072
208	0.038
207	0.045

(1)	(2)
205	0.068
133	0.008
137	0.002
134	0.024
135	0.001
132	0.030
142	0.004
143	0.011
144	0.033
147	0.031
148	0.012
146	0.031
30	0.015
12	0.001
9	0.045
8	0.001
15	0.071
19	0.037
20	0.012
18	0.129
78	0.029
113	0.017
114	0.062
115	0.039
11	0.007
10	0.041
7	0.048
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.733

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

226	0.038
68	0.007
131	0.016
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.061
अ + ब का योग . .	1.794

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1491-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—महसुआ 516

(घ) क्षेत्रफल—2.189 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
25	0.043
249	0.134
248	0.101
246	0.082
245	0.215
253	0.001
259	0.001
276	0.025
334	0.071
339	0.009
340	0.087
401	0.017
353	0.004
352	0.105
344	0.109
343	0.046
342	0.019
351	0.080
572	0.039
800	0.002
799	0.014
798	0.013
787	0.003
784	0.055
561	0.042

(1)	(2)
562	0.007
564	0.045
565	0.054
622	0.005
571	0.127
570	0.028
801	0.005
802	0.053
803	0.006
834	0.006
835	0.047
832	0.035
833	0.005
811	0.003
825	0.006
824	0.021
822	0.029
821	0.016
875	0.002
882	0.006
881	0.079
879	0.044
1009	0.007
1008	0.090
1002	0.006
1001	0.099
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	2.148
<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>	
771	0.009
921	0.008
289	0.009
771	0.009
864	0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.041
अ + ब का योग . . .	2.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16 एवं 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1493-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान  
(ग) ग्राम—माजन 526  
(घ) क्षेत्रफल—3.051 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

388	0.144
387	0.086
383	0.197
359	0.169
358	0.002
320	0.153
340	0.055
341	0.105
336	0.006
339	0.060
342	0.075
344	0.077
345	0.020
346	0.085
319	0.052
361	0.066
316	0.089
366	0.243
367	0.012
304	0.007
306	0.012
305	0.025
280	0.096
276	0.068
275	0.087

(1)	(2)
269	0.074
271	0.051
167	0.078
118	0.028
117	0.024
116	0.006
100	0.048
99	0.033
86	0.020
84	0.035
83	0.009
70	0.140
71	0.008
52	0.085
53	0.009
44	0.095
45	0.010
19	0.107
22	0.009
15	0.169
14	0.001
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.030

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

347	0.021
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	3.021
अ + ब का योग . .	3.051

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1495-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान  
(ग) ग्राम—खीरा 132  
(घ) क्षेत्रफल—1.479 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
23	0.193
24	0.011
22	0.016
21	0.017
20	0.345
36	0.006
17	0.015
19	0.006
16	0.010
38	0.004
37	0.008
13	0.195
12	0.011
14	0.014
11	0.146
42	0.008
44	0.028
61	0.007
9	0.082
6	0.004
7	0.023
8	0.045
186	0.005
187	0.006
188	0.004
189	0.135
473	0.023
474	0.106
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.473
<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>	
78	0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.006
अ + ब का योग . .	1.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1497-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—सेमरी कला 617  
(घ) क्षेत्रफल—0.198 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
65	0.198
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.198
<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पी. एस. त्रिपाठी**, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुण्डम, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्र.-भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—कुण्डम  
(ग) ग्राम—बदुआ (प.ह.नं. 0040) रा.नि.मं.—इमलई  
(घ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 12.550 हेक्टे. एवं इस पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
198	0.200
473	0.600
199	0.450
478	0.650
470	0.300
465	0.320
472	0.600
475	0.300
476	0.980
482	0.460
481	0.160
483	0.200
487	0.400
445	0.240
489	0.400
490	0.400
484	0.290
485	0.400
486	0.270
488/1	0.730
491	1.000

(1)	(2)
492	2.060
488/2	0.730
196	0.410
कुल रकबा . . .	12.550

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हिरन मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) चूंकि उक्त जलाशय शीर्ष निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है. अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाधात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.jabalpur.nic.in](http://www.jabalpur.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुण्डम एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—कुण्डम  
(ग) ग्राम—कुसुआ डबरा (प.ह.नं. 0037) रा.नि.मं.—इमलई  
(घ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 88.900 हेक्टे. एवं इस पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
25	0.990
26/1	3.090
26/2	1.000

(1)	(2)	(1)	(2)
27	0.300	187/1	0.140
102	0.480	137	1.110
104	0.840	150	0.420
105	0.610	142/1	0.130
178	0.600	143	0.650
106	0.130	142/2	0.790
219	0.580	144	0.480
107	1.480	145	0.780
114	0.300	146	0.780
100	0.310	147	0.770
220	0.370	149/1	0.340
108	0.70	149/2	0.990
109	0.500	152	0.750
110	0.430	172	0.320
88	1.070	173	1.010
87	0.780	174	0.640
111	0.200	186	0.550
112	1.010	153	0.250
141	3.320	158	0.100
113	0.530	165	0.330
115	0.200	154	0.660
138	0.600	155	0.650
116	0.200	159	0.370
139	0.600	160	0.230
117	0.580	161	0.900
118	0.350	162	0.610
119	0.860	163	0.340
120/1	0.100	258	0.900
122	0.140	166	0.480
120/2	0.250	167	0.440
121	0.140	183	0.540
123	0.250	246	0.540
124	0.340	168	0.290
125	0.340	169	0.290
126	0.240	179	0.510
127	0.220	170	0.640
128	0.330	171	0.750
131	0.880	176	0.260
164	0.350	177	0.260
132	0.370	180	0.250
133/1	0.200	181	0.230
134/2	0.260	182	0.520
135/2	0.360	99	0.900
187/2	0.150	98	0.410
133/2	0.200	184/1	0.390
134/1	0.260	97	0.510
135/1	0.360	95	0.840

(1)	(2)	(1)	(2)
16	1.360	238	0.800
91	2.140	262	2.350
185	0.710	260	0.240
196	0.260	263	0.580
198	0.280	259	0.260
184/2	0.290	264	0.800
184/3	0.180	249	0.420
189	0.120	266	0.930
190	0.240	247	0.770
191	0.790	12/1	0.360
192	0.990	15/1	0.130
193	0.250	17/1	0.130
194	0.140	18/1	0.300
195	0.300	19/1	0.240
210	0.360	12/2	0.370
197	0.200	15/2	0.120
199	0.200	17/2	0.140
251	0.950	18/2	0.300
213	0.090	19/2	0.230
214	0.330	14	0.150
215	0.400	21	0.690
217	1.280	31	2.990
218	0.550		
200	0.340		
201	0.200		
206	0.170		
207	0.160		
241	0.190		
257	1.210		
203	0.290		
204	0.210		
205	0.220		
208	0.290		
209	0.400		
223	0.500		
242	0.380		
148	0.120		
188	0.110		
224	0.150		
229	0.400		
236	0.500		
239	0.650		
227	0.520		
234	0.400		
237	0.810		
228	0.560		
232	0.120		
235	0.500		
		कुल रकबा . .	88.900

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हिरन मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) चूंकि उक्त जलाशय शीर्ष निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है. अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुण्डम एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

शुद्धि-पत्र

क्र. 1034-गोपनीय-2017-दो-2-10-62-(भाग-आठ).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 988-गोपनीय-2017-दो-2-10-62 (भाग आठ), दिनांक 02 अगस्त 2017 जहाँ तक इसका संबंध सारणी के सरल क्रमांक 59 पर उल्लेखित श्री मो. शकील खान को सारणी के स्तम्भ क्र. (3) एवं स्तम्भ क्रमांक (4) के अनुसार “दिनांक 05 अक्टूबर 2016 से जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर”, जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) प्रदान किये जाने से संबंधित है, आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाता है.

No. 1036-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Colloquium for District Judges on 26th August 2017 & 27th August 2017 in the Conference Hall, South Block, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Colloquium.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 8th August 2017

No. 234-CJ-II-1160.—WHEREAS, a departmental enquiry has been initiated against Shri Rajendra Kumar Shrivastava, the then Officer on Special Duty, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur presently posted as III Additional District Judge, Neemuch for showing act of grave misconduct.

AND WHEREAS, seriousness nature of acts of misconduct warrant his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and appeal) Rules, 1966, and all other powers, enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court hereby places Shri Rajendra Kumar Shrivastava, the then Officer on Special Judge, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur, presently posted as III Additional District Judge, Neemuch, under suspension with the headquarters at Neemuch. The High Court further directs that orders for payments of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court,

SATYENDRA KUMAR SINGH, Principal Registrar  
(Vigilance).

क्र. 236-सी.जे.-दो-1160.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 234-सीजे-दो-1160, दिनांक 08 अगस्त 2017, जो श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर वर्तमान में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, नीमच के निलंबन से संबंधित है, के पैराग्राफ क्रमांक 2 की 7 वीं पंक्ति में तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (the then Officer on Special Duty) के स्थान पर तत्कालीन विशेष न्यायाधीश अधिकारी (the then Officer on Special Judge) टंकित हो गया है.

अतः रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 234-सीजे-दो-1160, दिनांक 08 अगस्त 2017 में पैराग्राफ क्रमांक 2 की 7 वीं पंक्ति में तत्कालीन विशेष न्यायाधीश अधिकारी (the then Officer on Special Judge) के स्थान पर तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (the then Officer on Special Duty) पढ़ा जावे.

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता).

जबलपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. B-4447-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 22 से 26 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-6096-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 01 से 05 अगस्त 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 एवं 31 जुलाई 2017 के सार्वजनिक/स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.





अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6155-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 29 जून 2017 से 03 जुलाई 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-6157-दो-2-45-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 20 से 31 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6159-दो-2-10-2017.—श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 26 से 28 जुलाई 2017 तक

तीन दिन के पूर्व स्वीकृत कम्प्यूटेड अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 25 जुलाई 2017 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

### शुद्धि-पत्र

क्र. 1032-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1025-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 दिनांक 09 अगस्त 2017 की सारणी के सरल क्रमांक 01 पर उल्लेखित श्री ओंकार नाथ, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, जबलपुर के नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित "सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर" के स्थान पर "सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर" पढ़ा जावे।

जबलपुर, दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. 1047-गोपनीय-2017-दो-3-75-2017.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री निधि श्रीवास्तव, पंचन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैतूल का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव" करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

आदेशानुसार,

मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

## राज्य शासन के आदेश

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील घट्टिया,  
जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

घट्टिया, दिनांक 3 अगस्त 2017

प्रारूप- "ख"

[ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 21/3-84/16-12 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की द्वायी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा मल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	महूखेड़ी प.ह.न.-29	43/3	0.010
			41/2	0.010
			40/1	0.030
			43/2	0.040
			40/2	0.050
			43/1	0.050
			38	0.180
कुल योग			7	0.370

## प्ररूप- "ख"

### [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 22/35-92/116-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखैड़ा मल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के समय में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	बड़ीदिया काजी, प.ह.न.-28	459	0.010
			457	0.010
			454/2	0.030
			454/1	0.050
			450	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	बड़ोदिया काजी, प.ह.न.-28	453	0.100
			452/2	0.010
			423/1/1	0.010
			424	0.070
			402/1	0.070
			425/1	0.070
			428	0.030
			427	0.030
			401	0.070
			395	0.140
			394	0.010
			381/2	0.140
			135	0.020
			134	0.010
			131	0.040
			120	0.080
			121/2	0.060
			126	0.050
			122	0.080
			123	0.050
104	0.110			
कुल योग			26	1.360

## प्ररूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 23/अ-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर मैजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मन्दावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	सागपुरा, प.ह.न.-29	548	0.020
			505	0.010
			541	0.010
			507	0.040
			509	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी इत्यादि क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	नागपुरा, प.ह.न.-29	508	0.020
			535	0.060
			209	0.080
			510	0.020
			511/1	0.010
			534/6	0.060
			515	0.040
			534/5	0.020
			534/4	0.010
			513	0.060
			514/2	0.030
			494	0.050
			495/3	0.020
			492	0.100
			488/2	0.010
			488/1	0.090
			482	0.050
			481	0.010
			233	0.130
			232	0.100
			231	0.020
			217/2	0.120
			217/1	0.050
			210	0.040
208	0.070			
206/3	0.030			
206/1	0.020			
205/1	0.040			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	बोरखेड़ा मल्ला, प.ह.न-04	257	0.010
			256	0.060
			248	0.020
			258	0.070
			259	0.110
			245/3	0.040
			245/2	0.010
			260	0.030
			261/1	0.030
			244/2/1	0.100
			243/2/1	0.010
			243/1/1	0.020
			244/3	0.040
कुल योग			<b>18</b>	<b>0.810</b>



## प्ररूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 16/81-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दायी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलगेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेंडा मल्ला, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संग्राम क्रमांक- 30, मनापर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एव डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केवल एव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एव डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एव डक्ट बिछाये जाने के सबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	झोकरा, प.ह.न.-06	145	0.160
			146	0.020
			251/1	0.020
			251/2	0.100
			252/1	0.090

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी इल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	झोकरा, प.ह.न.-06	246	0.010
			247	0.080
			243	0.030
			199	0.030
			200/1	0.040
			208/1	0.010
			210	0.080
			201	0.090
			202/1	0.060
			207	0.010
			209	0.070
			212	0.170
			215	0.070
			216	0.030
			217	0.080
			222	0.060
			9/2	0.050
कुल योग			22	1.360

## प्रारूप- 'ख'

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 17/अ-82/16-19 अतएव, राज्य सरकार को लोकाहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की दीधी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	सिलोदारावल, प.ह.न.-28	107	0.010
			106	0.050
			100	0.010
			99	0.090

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	सिलोदारावल, प.ह.न.-26	98	0.070
			97/1	0.060
			81/2	0.040
			81/1	0.140
			84/1	0.020
			84/2	0.010
			83	0.010
कुल योग			<b>11</b>	<b>0.510</b>

## प्रारूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 18/3182/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मन्नावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	धूलमहू प.ह.न.-22	379/1	0.020
			373/3	0.040
			375/3	0.030
			373/2	0.030
			371/3	0.020

## प्रारूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 14/4-92/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकाहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की चौथी तट पार्श्व नहर गेजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलगेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेडा भवला, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन केवल एवं डक्ट विछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन केवल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन केवल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, दृक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता है।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूति (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	रुई प.ह.न.-08	721	0.050
			720	0.050
			719	0.050
			718/1	0.040
			709/1	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	रुई प.ह.न.-08	709/2	0.040
			709/3	0.050
			708/2	0.020
			691	0.020
			690	0.040
			689	0.040
			692/2	0.090
			688	0.090
			684	0.070
			682	0.040
			683	0.010
			679	0.150
			466	0.040
			464	0.080
			463	0.090
			462	0.040
			461/1	0.010
			461/2	0.030
			461/3	0.030
			460	0.060
			220/1	0.080
			220/2	0.050
			218/1	0.100
208	0.020			
207	0.020			
206	0.070			
कुल योग			31	1.610

## प्ररूप— "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक— 15/30-82/16-12 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा मल्ला, तहसील— घटिया, जिला— उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक— 30, मनावर, जिला— धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग) के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला— उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आमंत्रण भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	खेडला, प.ह.न.—30	279	0.070
			278/1	0.010
			281	0.010
			277/2	0.010
			286/2	0.020



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	खेडला, प.ह.न.-30	286/1	0.040
			285	0.050
			243/1	0.090
			243/2	0.030
			243/3	0.030
			225/2	0.010
			226/2	0.010
			224	0.010
			225/1	0.010
			226/1	0.010
			223	0.020
			213	0.010
			227/3	0.020
			227/2	0.030
			227/1	0.030
			228	0.020
			206/2	0.120
			206/3	0.020
			203/2	0.010
			203/3	0.020
203/1	0.040			
203/5	0.020			
203/4	0.020			
195/2	0.010			
कुल योग			29	0.800

## प्रारूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 14/31-92/116-17 अतएव राज्य सरकार को लोकाहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दीर्घी तट पाईप नहर गैजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलभेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- कौरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डबट विछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डबट विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डबट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डबट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डबट विछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	रुई प.ह.न.-08	721	0.050
			720	0.050
			719	0.050
			718/1	0.040
			709/1	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
रज्जैन	घट्टिया	रुई प.ह.न-08	709/2	0.040
			709/3	0.050
			708/2	0.020
			691	0.020
			690	0.040
			689	0.040
			692/2	0.090
			688	0.090
			684	0.070
			682	0.040
			683	0.010
			679	0.150
			466	0.040
			464	0.080
			463	0.090
			462	0.040
			461/1	0.010
			461/2	0.030
			461/3	0.030
			460	0.060
			220/1	0.080
			220/2	0.050
			218/1	0.100
208	0.020			
207	0.020			
206	0.070			
कुल योग			31	1.610

## प्ररूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 15/35-82/16-12 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की दायी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बडीकलमेर तहसील सातौर जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा मन्ला, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता है ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	खेडला, प.ह.न.-30	279	0.070
			278/1	0.010
			281	0.010
			277/2	0.010
			286/2	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाते वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
रज्जेन	घट्टिया	खेडला, प.ह.न.-30	286/1	0.040
			285	0.050
			243/1	0.090
			243/2	0.030
			243/3	0.030
			225/2	0.010
			226/2	0.010
			224	0.010
			225/1	0.010
			226/1	0.010
			223	0.020
			213	0.010
			227/3	0.020
			227/2	0.030
			227/1	0.030
			228	0.020
			206/2	0.120
			206/3	0.020
			203/2	0.010
			203/3	0.020
203/1	0.040			
203/5	0.020			
203/4	0.020			
195/2	0.010			
कुल योग			29	0.800

## प्ररूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 16/अ-२/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बौरखेड़ा भल्सा, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास समिति, क्रमांक- 30, मनाषर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट विधान के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आदेश की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	झोकरा, प.ह.न.-06	145	0.160
			146	0.020
			251/1	0.020
			251/2	0.100
			252/1	0.090

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	झोकरा, प.ह.न.-06	246	0.010
			247	0.080
			243	0.030
			199	0.030
			200/1	0.040
			208/1	0.010
			210	0.080
			201	0.090
			202/1	0.060
			207	0.010
			209	0.070
			212	0.170
			215	0.070
			216	0.030
			217	0.080
			222	0.060
			9/2	0.050
कुल योग			22	1.360



## प्ररूप- 'ख'

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

कमांक- 17/अ.३२/16-19 अतएव, राज्य सरकार को लोकाहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	सिलोदारावल, म.ह.न.-26	107	0.010
			106	0.050
			100	0.010
			99	0.090



ज़िला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाये वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	सिलोदाशवल, प.ह.न.-26	98	0.070
			97/1	0.060
			81/2	0.040
			81/1	0.140
			84/1	0.020
			84/2	0.010
			83	0.010
<b>कुल योग</b>			<b>11</b>	<b>0.510</b>

## प्ररूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 18/3192/16-17 अतएव राज्य सरकार को लोकाहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्र, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 6 सन 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	धूलमहू प.ह.न.-22	379/1	0.020
			373/3	0.040
			375/3	0.030
			373/2	0.030
			371/3	0.020

## प्ररूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 18/3-22/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की द्वयी तट पाईप नहर योजना परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा मन्ला, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संगम कमांक- 30, मनायन, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसकी उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	धूलमहू, प.ह.न.-22	379/1	0.020
			373/3	0.040
			375/3	0.030
			373/2	0.030
			371/3	0.020
			371/2	0.020
			372	0.100
			155/1	0.150
			146/5/2	0.100
			146/6	0.030
कुल योग			10	0.540

**प्रारूप— "ख"**  
[ नियम— 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक— 19/3582/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौरी सट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक— 30, मनावर, जिला— धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग) के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सहमत प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला— उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	सेमल्याबीबी, प.ह.न.—08	246/1	0.080
			245/3	0.060
			245/2	0.050
			245/1	0.050
			239	0.130
			238/2	0.080
			235/2	0.030
<b>कुल योग</b>			<b>7</b>	<b>0.480</b>

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- 20/31-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गोभीर लिंक परियोजना की दीधी तट पाईप नहर में ढाल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा मल्वा, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इसकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	नईखेड़ी, प.ह.न.-28	235	0.100
			234	0.050
			233	0.060
			230/4	0.090
			223/1	0.130

// 2 //

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
सज्जन	घट्टिया	नईखेडी, प.ह.न.-28	224/1	0.150
			198	0.090
			199	0.050
			185	0.070
			187	0.010
			184/1	0.010
			182	0.180
			179	0.010
			180	0.090
			<b>कुल योग</b>	

**प्ररूप— "ख"**  
[ नियम— 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक— 24/3-84/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गोभीर लिंक परियोजना की द्वायी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातात जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेडा सत्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक— 30, मन्नावर, जिला— धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला— उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	महूखेडी प.ह.न.—29	43/3	0.010
			41/2	0.010
			40/1	0.030
			43/2	0.040
			40/2	0.050
			43/1	0.050
			38	0.180
<b>कुल योग</b>			<b>7</b>	<b>0.370</b>

## प्ररूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 22/35-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की दायी तट पाईप सहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ोदिया तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेडा तहसील- घट्टिया जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन मंत्री, नर्मदा विकास समिति क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने को अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकता ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	बड़ोदिया काजी, प.ह.न.-28	459	0.010
			457	0.010
			454/2	0.030
			454/1	0.050
			450	0.010



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	बड़ीदिया काजी, प.ह.न-28	453	0.100
			452/2	0.010
			423/1/1	0.010
			424	0.070
			402/1	0.070
			425/1	0.070
			428	0.030
			427	0.030
			401	0.070
			395	0.140
			394	0.010
			381/2	0.140
			135	0.020
			134	0.010
			131	0.040
			120	0.080
			121/2	0.060
			126	0.050
			122	0.080
			123	0.050
		104	0.110	
कुल योग			26	1.360

## प्ररूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 23/अ-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा मल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	नागपुरा, प.ह.न.-29	548	0.020
			505	0.010
			541	0.010
			507	0.040
			509	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	नागपुरा, प.ह.न.-29	508	0.020
			535	0.060
			209	0.080
			510	0.020
			511/1	0.010
			534/6	0.060
			515	0.040
			534/5	0.020
			534/4	0.010
			513	0.060
			514/2	0.030
			494	0.050
			495/3	0.020
			492	0.100
			488/2	0.010
			488/1	0.090
			482	0.050
			481	0.010
			233	0.130
			232	0.100
			231	0.020
			217/2	0.120
			217/1	0.050
210	0.040			
208	0.070			
206/3	0.030			
206/1	0.020			
205/1	0.040			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	नागपुरा, प.ह.न.-29	206/4	0.010
			203/2	0.110
			203/1	0.050
			199	0.150
			71	0.080
			68	0.040
			67/1	0.010
			67/2	0.080
			65/3	0.010
			65/1	0.010
			64/3	0.020
			65/2	0.010
			64/2	0.020
			64/4/2	0.020
			64/6	0.020
			64/5	0.020
			64/4/1	0.030
			64/1	0.030
			58	0.020
			57	0.020
कुल योग			53	2.220

## प्ररूप- "ख"

## [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 24/35/82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की दायी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा मल्ला, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इसकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेंगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घटिया	बोरखेड़ा मल्ला, प.ह.न.-04	253	0.080
			254/1	0.010
			254/2	0.040
			251	0.040
			255	0.070

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	घट्टिया	बोरखेड़ा भल्ला, प.ह.न.-04	257	0.010
			256	0.060
			248	0.020
			258	0.070
			259	0.110
			245/3	0.040
			245/2	0.010
			260	0.050
			261/1	0.030
			244/2/1	0.100
			243/2/1	0.010
			243/1/1	0.020
			244/3	0.040
			<b>कुल योग</b>	

एस. आर. सोलंकी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).